पंजीकृत संख्या—यू0ए0/डी0एन0—30/2006—08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 जून, 2007 ई0 (ज्येष्ठ 26, 1929 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

80 वसन्त विहार, फेज—1, देहरादून

अधिसूचना

अप्रैल 17, 2007

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007

संख्या एफ—9 (16)/आर.जी./यू.ई.आर.सी./2007/70—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 50 के साथ पठित धारा 181 व विद्युत (कठिनाइयों का दूर करना) आदेश, 2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा इस निमित्त सभी शक्तियों से सक्षम होकर, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

अध्याय 1—सामान्य

1.1 संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व निर्वचन :

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 होगा।

(2) ये विनियम सभी वितरण व खुदरा आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू होंगे जिनमें, समझे गये अनुज्ञप्तिधारियों व उत्तराखण्ड राज्य में इसके सभी उपभोक्ता सम्मिलित हैं।

(3) ये विनियम, सरकारी गजट में इनके प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(4) इन विनियमों को भारतीय विद्युत नियमों, 1956 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 व इस सम्बन्ध में किसी सी0ई0ए0 विनियमों के उपबन्धों के अनुसार बिना फेर—बदल किये निर्वचित व कार्यान्वित किये जाएंगे।

1.2 परिभाषाएं :

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, विद्युत अधिनियम, 2003;

ख) "उपकरण" से अभिप्राय है, विद्युत उपकरण तथा सभी यंत्रों सहित, फिटिंग्स, सहायक उपकरण और विद्युत वितरण प्रणाली से सम्बन्धित उपकरण;

ग) "आवेदक" से अभिप्राय है, परिसर का स्वामी या कब्जाधारी जो विद्युत की आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी के पास आवेदन करता है;

घ) "आपूर्तिक्षेत्र" से अभिप्राय है, वह भौगोलिक क्षेत्र जिसके भीतर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने हेतु अपने अनुज्ञप्ति—पत्र द्वारा तत्समय के लिए अनुज्ञप्तिधारी को प्राधिकृत किया गया है;

यह विनियम दिनांक 21.04.2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।

ङ) "निर्धारण अधिकारी" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 126 के उपबंधों के अधीन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारण अधिकारी के रूप में अभिहित अधिकारी;

च) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 135 के उपबंधों के अधीन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अभिहित अधिकारी;

छ) "औसत पावर फैक्टर" से अभिप्राय है, अवधि के दौरान के डब्ल्यू.एच. से के.वी.ए.एच. (किलो वोल्ट एम्पियर आवर) का अनुपात;

ज) "बिलिंग चक्र" से अभिप्राय है, वह अवधि जिसके लिए बिल जारी किया गया है;

झ) "बिलिंग मांग" से अभिप्राय है, निम्नलिखित में से जो उच्चतम हो :—
संविदाकृत भार का 75 प्रतिशत

या

बिलिंग चक्र के दौरान मीटर द्वारा इंगित अधिकतम मांग;

ञ) "ब्रेकडाउन" से अभिप्राय है, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के उपकरणों से संबंधित वह घटना जो सामान्य काम—काज में अवरोध पैदा करती है तथा जिसमें उपभोक्ता के मीटर तक की विद्युत लाईन भी सम्मिलित है;

ट) "सी.ई.ए." से अभिप्राय है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी;

ठ) "आयोग" से अभिप्राय है, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग;

ड) "संयोजित भार" से अभिप्राय है, अनुज्ञप्तिधारी की ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली से संयोजित व उचित रूप से लगाए हुए तार से ऊर्जा उपभोग करने वाले सभी उपकरणों की विनिर्माता की रेटिंग का योग जिसमें उपभोक्ता के परिसर में वहनीय उपकरण सम्मिलित हैं किन्तु इसमें स्पेयर प्लग्स का भार सॉकेट, अग्निशमन के उद्देश्य से संस्थापित भार सम्मिलित नहीं हैं। पानी या कमरा गर्म करने या कमरा ठण्डा करने में से जिसका भार अधिक है, वही हिसाब में लिया जाएगा।

संयोजित भार, केवल सीधे चोरी या ऊर्जा के बेईमानी से निकालने या ऊर्जा के अनधिकृत उपयोग के मामले में निर्धारण के उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा;

ढ) "संविदाकृत भार" से अभिप्राय है, के0डब्ल्यू0/एच0पी0/के0वी0ए0 (किलोवाट/हॉर्स पावर/किलो वोल्ट एम्पियर) में भार, जिससे शासकीय शर्तों व निबंधनों के अधीन समय—समय पर आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी सहमत है;

ण) "मांग प्रभार" से अभिप्राय है, के.वी.ए. में बिलिंग मांग पर आधारित बिलिंग अवधि या बिलिंग चक्र के लिए प्रभारित राशि;

त) "विकास कर्ता" से अभिप्राय है, एक व्यक्ति या कम्पनी या संगठन या प्राधिकारी, जो आवासीय, व्यवसायिक या औद्योगिक उपयोग के लिए किसी क्षेत्र का विकास करता है तथा इसमें विकास अभिकरण (जैसे कि एम.डी.डी.ए. इत्यादि) कॉलोनाइजर्स, बिल्डर्स, सहकारी सामूहिक आवासीय समितियां, संगठन इत्यादि सम्मिलित हैं;

थ) "वितरण प्रणाली" से अभिप्राय है, तारों व सहायक सुविधाओं की वह प्रणाली जिसका उपयोग, उपभोक्ताओं की संस्थापना से संयोजन के बिन्दुओं तथा उत्पादक स्टेशन संयोजन या पारेषण लाईनों पर प्रेषण बिन्दुओं के मध्य विद्युत के वितरण/आपूर्ति हेतु किया जाता है;

द) "विद्युत निरीक्षक" से अभिप्राय है, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 157 की उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति तथा इसमें मुख्य विद्युत निरीक्षक भी सम्मिलित है;

ध) "विद्युत नियमों" से अभिप्राय है, अधिनियम को व्यावृत्ति के विस्तार तक भारतीय विद्युत नियमों, 1956 या तत्पश्चात् विद्युत अधिनियम के अधीन बनाए गये नियम;

न) "विद्युत प्रभार" से अभिप्राय है, किसी बिलिंग चक्र में, के.डब्ल्यू.एच./के.वी.ए.एच. (किलो वाट आवर/किलो वोल्ट एम्पियर आवर), यथास्थिति, में उपभोक्ता द्वारा वास्तव में उपभोग की गयी ऊर्जा हेतु प्रभार। मांग/स्थिर प्रभार, जहां लागू हों, विद्युत प्रभारों से अतिरिक्त होंगे;

प) "अति हाई टेन्शन (ई.एच.टी.)" से अभिप्राय है, भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अधीन अनुमोदित परिवर्तन प्रतिशत के अधीन सामान्य परिस्थितियों के अन्तर्गत 33000 वोल्ट्स व इससे ऊपर की वोल्टेज;

फ) "विद्युतिकृत क्षेत्र" से अभिप्राय है, नगर निगमों , नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर क्षेत्रों, अधिसूचित क्षेत्रों व नगर निकायों तथा अनुज्ञप्तिधारी/राज्य सरकार द्वारा विद्युतिकृत घोषित गांवों के अधीन आने वाले क्षेत्र;

ब) "स्थिर प्रभार" से अभिप्राय है, संविदाकृत भार पर आधारित बिलिंग चक्र/बिलिंग अवधि हेतु प्रभारित राशि;

भ) "मंच" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 42 (5) व उसके अधीन आयोग द्वारा बनाए गये विनियमों के अधीन स्थापित संबंधित शिकायत निवारण मंच;

म) "सरकार" से अभिप्राय है, उत्तराखण्ड सरकार;

य) "हाई टेन्शन" (एच.टी.) से अभिप्राय है, भारतीय विद्युत नियमों, 1956 के अधीन अनुमोदित परिवर्तित प्रतिशत के अधीन सामान्य परिस्थितियों में 650 वोल्ट्स व 33000 वोल्ट्स के मध्य वोल्टेज;

र) "छूटे हुए लघुक्षेत्र" (लेफ्ट आउट पॉकेट्स) से अभिप्राय है, एक विद्युतिकृत क्षेत्र के भीतर कोई ऐसा क्षेत्र जहां—

क) अनुज्ञप्तिधारी ने कोई वितरण मेन्स नहीं डाले हैं यथा समीपस्थ वर्तमान वितरण मेन्स 201 मीटर या उससे अधिक की दूरी पर हैं,

ख) किसी विकासकर्ता द्वारा विकसित किया गया या विकसित की जा रही कोई आवासीय कॉलोनी या कॉम्प्लैक्स जिसमें ऐसी कॉलोनी या कॉम्प्लैक्स के भीतर वितरण मेन्स डाले ही नहीं गये हैं या ऐसी कॉलोनी/कॉम्प्लैक्स के संभावित भार को पूरा करने की अपेक्षित क्षमता नहीं है या ऐसी अवमानक गुणवत्ता के हैं कि जो भारतीय विद्युत नियम, 1956 में नियत सुरक्षा मानकों की पुष्टि नहीं करते व जीवन व संपत्ति के लिए खतरनाक हैं;

ल) "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्राय है, अधिनियम के भाग iv के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई व्यक्ति;

व) "लोड फैक्टर" से अभिप्राय है एक दी हुई अवधि के दौरान उपभोग की गयी यूनिट्स की कुल संख्या एवं यूनिट्स की कुल संख्या, जिसका कि तब उपभोग किया गया होता यदि उसी अवधि में पूरे समय संयोजित भार बनाए रखा गया होता, का अनुपात है तथा इसे सामान्यतः निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाएगा:—

$$\text{लोड फैक्टर (प्रतिशत)} = \frac{\text{एक दी गयी अवधि में उपभोग की गयी वास्तविक यूनिट्स}}{\text{कि0वा0 में संयोजित भार} \times \text{अवधि में कुल घंटे}} \times 100;$$

श) "लो टेन्शन" (एल.टी.) से अभिप्राय है, विद्युत नियमों के अधीन अनुमोदित परिवर्तित प्रतिशत के अधीन सामान्य परिस्थितियों में किन्हीं दो फेजेज के मध्य 400 वोल्ट्स या न्यूट्रल तथा फेज के मध्य 230 वोल्ट्स की वोल्टेज;

ष) "अधिकतम मांग" से अभिप्राय है, माह के दौरान, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में या 30 मिनट की अवधि के दौरान उपभोक्ता के सप्लाई पॉइन्ट पर के.वी.ए. या के.डब्ल्यू. में नापा गया उच्चतम भार;

स) "मीटर" से अभिप्राय है, आपूर्ति की गयी विद्युत ऊर्जा के उपभोग मापन करने के लिए उपयुक्त उपकरण अथवा किसी विनिर्दिष्ट समय के दौरान कोई अन्य निश्चित सीमा तथा इसमें, जहां—कहीं लागू हो, ऐसी रिकॉर्डिंग हेतु आवश्यक अन्य सहायक उपकरण जैसे सी.टी., पी.टी. इत्यादि सम्मिलित होंगे।

इसमें, विद्युत के अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाई गयी सील या सीलिंग व्यवस्था भी सम्मिलित होगी;

ह) "कब्जाधारी" (अक्कूपायर) से अभिप्राय है, उस परिसर का कब्जाधारी व्यक्ति या स्वामी जहां ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है;

क्ष) "बकाया देय" से अभिप्राय है, विच्छेदन के समय उक्त परिसर पर देय सभी बकाया राशि तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (2) के अधीन विलम्ब भुगतान अधिभार;

त्र) "परिसर" से अभिप्राय है, इन विनियमों के उद्देश्य हेतु कोई भूमि या भवन या उनका भाग या उनका संयोजन जिनके संबंध में विद्युत की आपूर्ति के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक मीटर की या मीटरिंग की व्यवस्था की गयी है;

ज्ञ) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्राय है, शहरी इलाके के अतिरिक्त अन्य सारे इलाके;

कक) "सर्विस लाईन" से अभिप्राय है, एक विद्युत आपूर्ति लाईन जिस के माध्यम से वितरण मेन के उसी पॉइन्ट से एक उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के समूह को वितरण मेन से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति की जाती है या की जानी आशयित है;

खख) "टैरिफ आदेश" से अभिप्राय है, अनुज्ञप्तिधारी व उपभोक्ता के लिए टैरिफ और वार्षिक राजस्व आवश्यकता व टैरिफ पर आयोग द्वारा समय—समय पर जारी आदेश;

गग) "अस्थायी आपूर्ति" से अभिप्राय होगा—

क) 10 के.डब्ल्यू. की बिजली व पंखे की आपूर्ति,

ख) समारोहों, उत्सवों व त्योहारों, अस्थाई दुकान आदि के समय प्रकाश व्यवस्था व पब्लिक एड्रेस सिस्टम हेतु भार,

ग) सरकारी विभागों सहित सभी उपभोक्ताओं द्वारा सिविल कार्य समेत निर्माण उद्देश्यों हेतु ऊर्जा भारों की आपूर्ति। किसी कार्य/परियोजना हेतु निर्माण उद्देश्यों के लिए ऊर्जा, कार्य/परियोजना के पूर्ण होने तक निर्माण कार्य के लिए पहला कनैक्शन लेने की तिथि से मानी जाएगी;

घघ) "चोरी" से अभिप्राय है, अधिनियम में वर्णन किये अनुसार विद्युत की चोरी;

चच) "शहरी क्षेत्र" किसी नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद् या नगर क्षेत्र या अधिसूचित क्षेत्र या किसी अन्य नगर निकाय की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र है।

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, शब्द व अभिव्यक्तियां जो यहां उपयोग हुए हैं तथा यहां परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु अधिनियम/विद्युत नियमों/शुल्क आदेश में परिभाषित किये गये हैं, उनका वहीं अभिप्राय होगा जो कि अधिनियम/विद्युत नियमों/टैरिफ आदेश में दिया गया है या इसकी अनुपस्थिति में वह अभिप्राय होगा जो कि विद्युत आपूर्ति उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है ।

अध्याय 2—नये व वर्तमान संयोजन

2.1 नये संयोजन :

विद्युतिकृत क्षेत्र में लो टेन्शन पर नये संयोजनों हेतु सभी आवेदन, यू.ई.आर.सी. (नये एल.टी. कनैक्शन्स का देना, भार में कमी व वृद्धि) अधिनियम, 2007 में नियत प्रक्रिया के अनुसार निपटाए जाएंगे। इसकी एक प्रति इन विनियमों के साथ संलग्न की गयी है (संलग्नक–1)।

2.2 अस्थायी आपूर्ति हेतु नये संयोजन की प्रक्रिया :

अनुज्ञप्तिधारी, अस्थायी आपूर्ति हेतु आवेदनों को निम्नलिखित रूप से निपटाएगा:—

(1) आवेदक इन विनियमों के संलग्नक–1 में निर्धारित प्रारूप में अस्थाई आपूर्ति हेतु आवेदन करेगा तथा इसके साथ में एल.टी. पर अस्थायी संयोजन के लिए रू0 1000.00 की राशि या एच.टी./ई.एच.टी. पर अस्थायी संयोजन के लिए रू0 10000.00 की राशि अग्रिम रूप से जमा करेगा। यह राशि कार्य अनुमानित लागत के सापेक्ष समायोजित की जाएगी।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक को दिनांकित रसीद जारी करेगा। आवेदन प्राप्त करते समय आवेदन में कोई कमी होने पर तुरन्त सुधार करवाया जाएगा। ऐसी कमियां दूर हो जाने पर आवेदन स्वीकार कर लिया समझा जाएगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी आवेदित संयोजन की तकनीकी साध्यता का परीक्षण करेगा तथा यह साध्य पाया गया तो आवेदन की प्राप्ति से एच.टी./ई.एच.टी. के लिए 15 दिनों व एल.टी. के लिए 5 दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किये गये कार्य की लागत के अनुमान के आधार पर तात्विक प्रतिभूति (सेवालाईन, मीटर, अन्य उपकरण इत्यादि) की राशि व निम्नलिखित सारिणी 2.1 के अनुसार उपभोग प्रतिभूति की राशि इंगित करते हुए मांग–नोट जारी करेगा। यदि संयोजन तकनीकी रूप से साध्य न पाया जाए तो इसका कारण बताते हुए आवेदन प्राप्ति से एच.टी./ई.एच.टी. के लिए 15 दिनों व एल.टी. के लिए 5 दिनों के भीतर लिखित में आवेदक को सूचित करेगा। तकनीकी आधार पर 10 के.डब्ल्यू. तक के किसी संयोजन को निरस्त नहीं किया जाएगा।

सारिणी 2.1

उपभोग प्रतिभूति

(रु0 के.डब्ल्यू./माह)

घरेलू	अघरेलू	निर्माण
1500	3000	3000

(4) आवेदक, मांग–नोट की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर मांग–नोट के अनुसार भुगतान करेगा। ऐसा न करने पर उसकी स्वीकृति निरस्त हो जाएगी।

(5) लागू प्रभार प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी, कार्य निष्पादन करेगा व संयोजन को सक्रिय करेगा।

(6) यदि परिसर पर कुछ बकाया देय हैं तो उपभोक्ता द्वारा बकाया देयों का भुगतान कर देने तक उसे अस्थायी संयोजन प्रदान नहीं किया जाएगा।

(7) अस्थायी संयोजन, एक समय पर 3 माह की अवधि से अधिक के लिए नहीं दिया जाएगा जिसे आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा।

(8) अस्थायी संयोजन की समाप्ति पर, भुगतान न किये गये देय समायोजित करने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता प्रतिभूति वापस कर दी जाएगी। इसी प्रकार, सामग्री (जैसेकि मीटर, प्रवर्तक, आइसोलेटर इत्यादि) के नुकसान तथा खण्डित करने का प्रभार, जो कि तात्विक प्रतिभूति के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, को घटाकर वापस कर दिया जाएगा। इन प्रतिभूतियों की वापसी विच्छेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर की जाएगी। ऐसा न करने पर नीचे दिये विनियम 2.3.1 (4) के अनुसार ब्याज अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय होगा।

(9) अस्थायी संयोजन की अनुमति, स्थायी संयोजन का आवेदक के हक में दावे का अधिकार नहीं देती है। यह अधिनियम व विनियमों के उपबंधों के अनुसार शासित होगा।

2.3 वर्तमान संयोजनः

2.3.1 अतिरिक्त प्रतिभूति जमा :

(1) अनुज्ञप्तिधारी, पिछले वर्ष के अप्रैल से मार्च तक प्रतिभूति जमा की पर्याप्तता के लिए उपभोक्ता के उपभोग के तरीके की समीक्षा करेगा। भुगतान में विलंब या कोई चूक होने पर प्रतिभूति के रूप में, 2 बिलिंग चक्र के अनुमानित औसत उपभोग का प्रभार या वर्तमान प्रतिभूति जमा दोनों में जो अधिक हो, के बराबर राशि उपभोक्ता को अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा करनी होगी।

(2) ऐसी समीक्षा के आधार पर, यदि प्रतिभूति जमा वर्तमान प्रतिभूति जमा के अधिकतम 10 प्रतिशत से कम पड़ती है तो अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के भुगतान हेतु कोई दावा नहीं किया जाएगा, यदि प्रतिभूति जमा 10 प्रतिशत से अधिक, कम पड़ता है तो अनुज्ञप्तिधारी, आगामी विद्युत बिल में मांग जारी करेगा।

(3) यदि वर्तमान प्रतिभूति राशि, अपेक्षित प्रतिभूति राशि के 10 प्रतिशत से अधिक पाई जाती है तो अधिक राशि की वापसी, आगामी बिलों में समायोजित कर ली जाएगी।

(4) वर्तमान प्रतिभूति राशि, उपरोक्त रूप में अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के साथ तब प्रचलित प्रतिभूति जमा बन जाएगी तथा समय–समय पर आयोग द्वारा निर्धारित रूप में ब्याज, अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा उपलब्ध संपूर्ण राशि पर देय होगा।

(5) अतिरिक्त प्रतिभूति जमा का निर्धारण अप्रैल माह में प्रतिवर्ष एक बार किया जाएगा।

(6) प्रत्येक उपभोक्ता के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध प्रतिभूति जमा, उपभोक्ता को जारी बिल में दर्शायी जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की प्रतिभूति जब कभी वापस की जाए तो इसे बिना किसी अन्य औपचारिकता के अधिकतम तीन विद्युत बिलों में लौटाया जाएगा।

2.3.2 संयोजन का अन्तरण :

अन्तरण से संबंधित आवेदन को अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित रूप से निर्धारित तरीके से निपटाएगाः—

2.3.2.1 संपत्ति के स्वामित्व/कब्जे में परिवर्तन के कारण संयोजन में उपभोक्ता के नाम का परिवर्तन :

(1) आवेदक, भुगतान किये गये बिल की प्रति के साथ, इन विनियमों के संलग्नक–II पर निर्धारित प्रारूप में उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन हेतु आवेदन करेगा। संपत्ति का विधिपूर्ण स्वामित्व/कब्जे का साक्ष्य दिखाने पर ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदक के नाम में प्रतिभूति के अन्तरण से संबंधित मामलों में, परिसर के पिछले कब्जाधारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना आवश्यक होगा। उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन, आवेदन स्वीकार किये जाने के पश्चात् दो बिलिंग चक्रों के भीतर किया जाएगा। संपत्ति पर कोई पुराने देय, अधिनियम की धारा 56 (2) के उपबंधों के अनुसार नये उपभोक्ता द्वारा देय होंगे।

(2) यदि पिछले कब्जाधारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र जमा नहीं किया जाता है तो नाम परिवर्तन के आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा जब विनियम में नियत प्रतिभूति जमा का फिर से भुगतान किया जाएगा। तथापि दावेदार को मूल प्रतिभूति जमा की वापसी तब की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति द्वारा इसका दावा किया जाएगा।

(3) यदि उक्त दो बिलिंग चक्रों के भीतर उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन नहीं होता है तो यू.ई.आर.सी. (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार क्षतिपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

2.3.2.2 उपभोक्ता के नाम का कानूनी वारिस को अन्तरण :

(1) उपभोक्ता के नाम के परिवर्तन हेतु आवेदक, उचित रूप से भुगतान किये गये नवीनतम बिल की प्रति के साथ, इन विनियमों के संलग्नक–III पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा। कानूनी वारिस होने

के विधिक साक्ष्य, जैसे कि रजिस्टर्ड वसीयतनामा, उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र, नगरपालिका/अभिलेखों में खतौनी इत्यादि दिखाने पर आवेदन स्वीकार किया जाएगा। उपभोक्ता के नाम का परिवर्तन, आवेदन स्वीकार किये जाने के पश्चात् दो बिलिंग चक्रों के भीतर किया जाएगा। संपत्ति पर कोई पुराने देय, अधिनियम की धारा 56 (2) के उपबंधों के अनुसार नये उपभोक्ता द्वारा देय होंगे।

(2) यदि उक्त दो बिलिंग चक्रों के भीतर उपभोक्ता का नाम परिवर्तित नहीं किया जाता तो यू.ई.आर.सी. (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार क्षतिपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी।

2.3.3 श्रेणी का परिवर्तन :

(1) श्रेणी के परिवर्तन हेतु आवेदक, विनियमों के संलग्नक–IV पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा।

(2) यदि किसी प्रवृत्त कानून के अधीन नयी श्रेणी की स्वीकृति की अनुमति नहीं दी जा सकती तो अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन की तिथि से 10 दिन के भीतर आवेदक को इसकी सूचना देगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, सत्यापन के लिए परिसर का निरीक्षण करेगा तथा आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 10 दिन के भीतर श्रेणी को परिवर्तित करेगा।

(4) श्रेणी का परिवर्तन, आवेदन की स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा। परिवर्तित श्रेणी के अधीन भी बिलिंग उसी तिथि से होगी। यदि उक्त तिथि के भीतर श्रेणी में परिवर्तन नहीं होता है तो विद्युत के अनधिकृत उपयोग का उपभोक्ता उत्तरदायी नहीं होगा तथा यदि ऐसे विलम्ब के कारण उपभोक्ता को कोई नुकसान होता है तो उसे यू.ई.आर.सी. (प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2007 में उपबंधित किये अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

अध्याय 3—मीटरिंग व बिलिंग

3.1 मीटरिंग :

3.1.1 सामान्य :

(1) बिना मीटर के किसी संस्थापन को सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। सभी मीटर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अधिनियम की धारा 55 के अधीन जारी (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 में नियत की गयी अपेक्षाओं की पुष्टि करेंगे।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, नये संयोजन को सक्रिय करने या मीटर को बदलने के लिए उपरोक्त उप पैरा (प) में संदर्भित विनियमों का पालन करते हुए मीटरों का उपयोग करेगा। यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो वह उपरोक्त उप पैरा (प) में संदर्भित सी.ई.ए. विनियमों की पुष्टि करते हुए मीटर क्रय कर सकता है, किन्तु अनुज्ञप्तिधारी मीटरों का परीक्षण, संस्थापन करेगा व सील लगाएगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता के परिसर के भीतर या परिसर के बाहर जैसे कि खम्भे इत्यादि में मीटर लगाने का विकल्प होगा। जहां मीटर उपभोक्ता के परिसर के बाहर लगाए गये हैं, वहां मीटर की सुरक्षित अभिरक्षा की जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी की होगी। जहां मीटर उपभोक्ता के परिसर के भीतर लगाए गये हैं, वहां मीटर की सुरक्षित अभिरक्षा की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।

(4) मीटर के रख–रखाव व इसे सदैव कार्यशील अवस्था में रखने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी की होगी।

(5) मीटर का प्रारम्भिक अधिष्ठापन व इसका बदलाव अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक सप्ताह का नोटिस देकर उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा। प्रारम्भिक अधिष्ठापन व बदलाव के समय अनुज्ञप्तिधारी सीलिंग प्रमाण–पत्र में मीटर के विवरण अभिलेखित करेगा जिस पर अनुज्ञप्तिधारी व उपभोक्ता द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जाएंगे। उचित रसीद के साथ शीट की एक प्रति उपभोक्ता को जारी की जाएगी।

(6) मीटर की सील, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन व प्रचालन) विनियम, 2006 के अनुसार होगी। जिस के अनुसार नये मीटरों में सीसे की सील का उपयोग नहीं किया जाएगा। पुरानी सीसे को सीलों के बदले नई सील लगाई जाएगी। यह बदलाव इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(237)

3.1.2 मीटरों का पढ़ना :

(1) मीटरों को प्रत्येक बिलिंग चक्र में एक बार पढ़ा जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक उपभोक्ता के मीटर के साथ रखे गये कार्ड/पुस्तक में मीटर रीडिंग की नियमित रूप से प्रविष्टि की जाती है। ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि मीटर रीडर द्वारा की जानी चाहिए तथा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए। गलत बिलिंग की शिकायत होने पर पूर्व में ऐसे कार्ड/बुक में की गयी प्रविष्टि, मामले के निर्धारण में पर्याप्त सबूत होना चाहिए। टाइम ऑफ डे (टी.ओ.डी.) मीटर्स जहां कहीं लगाए गये हैं वहां उन्हें केवल मीटर रीडिंग इन्स्ट्रूमेन्ट (एम.आर.आई.) द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। यह अनुज्ञप्तिधारी के मीटर पढ़ने वाले कर्मचारी का कर्तव्य होगा कि वह इलैक्ट्रॉनिक मीटर्स की एल.ई.डी.एस. की जांच करे। यदि इलैक्ट्रॉनिक मीटर्स पर लगाया गया ई./एल. एल.ई.डी. संकेतक "ऑन" पाया जाता है तो वह उपभोक्ता को सूचित करेगा कि परिसर में कहीं लीकेज है तथा उसे सलाह देगा कि अपनी वायरिंग की जांच करवाकर लीकेज दूर करवा ले। वह अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित अधिकारी को भी लीकेज की सूचना देगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी को मीटर पढ़ने के लिए उपभोक्ता सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।

(3) जहां उपभोक्ता के उपलब्ध न होने के कारण मीटर पढ़ा नहीं जा सका है तो अनुज्ञप्तिधारी, जिस तिथि को उपभोक्ता के परिसर पर मीटर रीडिंग, रीडिंग लेने गया था, वह तिथि तथा रीडिंग न लिये जाने का कारण इंगित करते हुए पिछले एक वर्ष के औसत उपभोग पर आधारित अस्थायी बिल जारी करेगा। जब कभी मीटर पढ़ा जाएगा तो ऐसे सभी बिलों का उचित रूप से समायोजन किया जाएगा। ऐसी अस्थायी बिलिंग एक समय में दो बार से अधिक जारी नहीं रखी जाएगी तथा उसके बाद कोई अस्थायी बिल जारी नहीं किया जाएगा।

(4) यदि लगातार दो मीटर रीडिंग की तिथियों पर मीटर पर पहुंच नहीं हो पाती है तो अनुज्ञप्तिधारी, दिनांक व समय इंगित करते हुए मीटर रीडिंग लेने के लिए परिसर को खुला रखने का 15 दिन का स्पष्ट नोटिस, उचित रसीद को प्राप्त कर, उपभोक्ता को देगा। यदि उपभोक्ता नोटिस का पालन नहीं करता है तो अनुज्ञप्तिधारी, नोटिस का समय समाप्त होने पर, जब तक ऐसी मनाही या विफलता जारी रहे तब तक के लिए आपूर्ति काट देगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी एन.आर. का नया मामला इसके डाटा केस में न जोड़ा जाए।

(6) जब कोई घरेलू उपभोक्ता, आवास से लगातार अनुपस्थिति के कारण अनुज्ञप्तिधारी को मीटर पर पहुंच न हो पाने के संबंध में पूर्व लिखित सूचना देता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को कोई नोटिस/अस्थायी बिल नहीं भेजेगा बशर्ते कि उपभोक्ता अनुपस्थिति के दौरान अपने भुगतान के दायित्व पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि अग्रिम रूप से जमा करे। इस विकल्प का चयन करने वाले उपभोक्ताओं को एक पासबुक जारी की जाएगी जिसमें समय–समय पर जमा की गयी राशि, प्रत्येक बिलिंग चक्र के पश्चात् विद्युत देयों के सापेक्ष समायोजित राशि तथा अवशेष दर्शाया जाएगा। ऐसे अग्रिम जमा पर, सेविंग्स बैंक एकाउन्ट हेतु भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित ब्याज दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। कोई भी उपभोक्ता जो इसके लिए इच्छुक हो, उसको यह सुविधा उपलब्ध होगी।

(7) यदि उपभोक्ता चाहता है कि विशेष रीडिंग ली जाए तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी व्यवस्था की जाएगी तथा एल.टी. उपभोक्ता हेतु रू0 25.00 व एच.टी. उपभोक्ता हेतु रू0 100.00 का प्रभार, उपभोक्ता के अगले बिल में जोड़ा जाएगा।

3.1.3 मीटरों का परीक्षण :

अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत नियमों के नियम 57 के अनुसार मीटरों का आवधिक निरीक्षण/परीक्षण व अंशशोधन संचालित करेगा। यह निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:–

(1) मीटर परीक्षण की आवर्तिता–

अनुज्ञप्तिधारी नियमित मीटर परीक्षण के लिए निम्नलिखित समय सारिणी अपनाएगा:–

श्रेणी	परीक्षण का अन्तराल
थोक आपूर्ति मीटर्स (एच.टी.)	1 वर्ष
एल.टी. मीटर्स	5 वर्ष

सी.टी. अनुपात व सी.टी./पी.टी. की परिशुद्धता, जहां–कहीं लागू हो, मीटर के साथ परीक्षित की जाएगी।

(2) यदि उपभोक्ता मीटर की परिशुद्धता के संबंध में विवाद उत्पन्न करता है तो वह ऐसी शिकायत/नोटिस देकर तथा निर्धारित परीक्षण शुल्क का भुगतान कर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, शिकायत प्राप्त होने के बाद 30 कार्यदिवसों के भीतर इसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मीटर का परीक्षण करवाएगा तथा उपभोक्ता को उचित रूप से अधिकृत परिणाम प्रस्तुत करेगा।

उपभोक्ता को कम से कम दो दिन पहले परीक्षण की प्रस्तावित तिथि व समय की सूचना दी जाएगी।

(4) अनुज्ञप्तिधारी की मीटर परीक्षण टीम, परीक्षण के लिए पर्याप्त क्षमता के प्रतिरोधक भार के साथ परीक्षण करना सुनिश्चित करेगी। मीटर का परीक्षण एक के.डब्ल्यू.एच. के न्यूनतम उपभोग हेतु किया जाएगा। पल्स व रिवोल्यूशन की गणना के लिए ऑप्टिकल स्कैनर का उपयोग किया जाएगा। मीटर परीक्षण की रिपोर्ट संलग्नक–अ में दिये प्रारूप में होगी।

(5) जब मीटर भारतीय विद्युत नियम 57 (1) में विनिर्दिष्ट सीमा से तेज पाया जाए तो अनुज्ञप्तिधारी/उपभोक्ता, यथास्थिति, परीक्षण के 15 दिन के भीतर त्रुटिपूर्ण मीटर को बदलवाएगा/ठीक करवाएगा। अनुज्ञप्तिधारी, मीटर के सुधारे जाने/बदले जाने की तिथि तक तथा उपभोक्ता की शिकायत की तिथि से पहले मीटर की अधिष्ठापन की अवधि पर निर्भर करते हुए अधिकतम 6 माह के लिए, प्रतिशत त्रुटि पर आधारित उक्त त्रुटि के कारण एकत्रित की गयी अधिक राशि समायोजित/वापस करेगा।

(6) जब मीटर, विद्युत नियमों के नियम 57 (1) में विनिर्दिष्ट अनुमोदित सीमा से धीमा हो तथा उपभोक्ता मीटर की परिशुद्धता पर कोई विवाद खड़ा न करे तो अनुज्ञप्तिधारी/उपभोक्ता, यथास्थिति, परीक्षण के 15 दिन के भीतर त्रुटिपूर्ण मीटर को सुधारेगा/बदलेगा। मीटर के बदले जाने/सुधारे जाने की तिथि तक तथा मीटर परीक्षण की तिथि से पहले मीटर की अधिष्ठापन की तिथि की अवधि पर निर्भर करते हुए अधिकतम 6 माह के प्रतिशत त्रुटि पर आधारित सामान्य दरों पर मीटर में त्रुटि के कारण अन्तर का उपभोक्ता भुगतान करेगा।

(7) यदि उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि परीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना करता है या इसे विवादित बताता है तो त्रुटिपूर्ण मीटर बदला नहीं जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी, पदनामित विद्युत निरीक्षक या किसी अधिकृत तीसरे पक्ष से संपर्क करेगा जो कि मीटर की उचितता का परीक्षण करेगा तथा एक माह के भीतर इसका परिणाम प्रस्तुत करेगा। निरीक्षक या ऐसे तीसरे पक्ष का निर्णय अनुज्ञप्तिधारी व साथ ही उपभोक्ता के लिए अंतिम व बाध्यकारी होगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे सभी मीटर परीक्षणों का अभिलेख रखेगा तथा प्रत्येक 6 माह में अपवाद रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा।

3.1.4 रिकॉर्डिंग न करने वाला मीटर :

(1) यदि उपभोक्ता की रिपोर्ट के अनुसार, मीटर रिकॉर्ड नहीं कर रहा है या अटक गया है तो अनुज्ञप्तिधारी, शिकायत प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर मीटर की जांच करेगा तथा यदि यह रुका हुआ या त्रुटिपूर्ण (आई.डी.एफ.) पाया जाता है तो इसके पश्चात् 15 दिन के भीतर यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता द्वारा मीटर को बदला जाएगा।

(2) जहां अनुज्ञप्तिधारी को यह पता चले कि पिछले एक बिलिंग चक्र के लिए मीटर कोई उपभोग रिकॉर्ड नहीं कर रहा है या त्रुटिपूर्ण (ए.डी.एफ.) प्रतीत होता है तो वह उपभोक्ता को अधिसूचित करेगा। तत्पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी 15 दिन के भीतर मीटर की जांच करेगा तथा यदि मीटर अटका/रुका हुआ पाया जाए तो इसे 7 दिन के भीतर बदल दिया जाएगा।

(3) जहां अनुज्ञप्तिधारी को यह पता लगे कि वर्तमान रीडिंग पिछली रीडिंग से कम है (आर.डी.एफ.) जो कि संभवतः वर्तमान रीडिंग वास्तविक से कम होने के कारण है या पिछली रीडिंग वास्तविक से अधिक है या पुराने मीटर की जगह नये मीटर के लगाए जाने के कारण है तो अनुज्ञप्तिधारी 15 दिन के भीतर इसकी जांच करेगा तथा त्रुटिपूर्ण पाए गए मीटर 2 माह में बदल दिये जाएंगे अन्यथा अपना रिकॉर्ड ठीक करने के लिए डाटा बेस में सुधार किया जाएगा।

(4) त्रुटिपूर्ण मीटरों के सभी नये मामले यथा ए.डी.एफ., आर.डी.एफ. या आई.डी.एफ. यदि कोई हैं तो उन्हें अधिकतम तीन माह के भीतर आवश्यक रूप से सुधारा जाएगा।

3.1.5 जले हुए मीटर :

(1) यदि उपभोक्ता की शिकायत पर अथवा अन्यथा, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरीक्षण पर मीटर जला हुआ पाया जाता है तो वह भविष्य में होने वाले नुकसान को टालने के लिए यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि स्थल पर उपचारक कार्यवाही कर दी गयी है, जले हुए मीटर से करेन्ट के तारों को अलग करके शिकायत प्राप्त होने के 6 घण्टे के अन्दर संयोजन बहाल करेगा। नया मीटर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। तथापि यदि मूल मीटर उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया था तो नया मीटर भी उसी के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी स्थल/उपभोक्ता के परिसर से जले हुए मीटर को हटवाएगा तथा इसका परीक्षण करेगा। यदि परीक्षण के परिणाम से यह स्थापित हो जाता है कि मीटर तकनीकी कारणों, जैसे कि वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, क्षणिक इत्यादि के कारण हुआ है जो कि प्रणाली के अवरोधों के कारण है, के फलस्वरूप मीटर जला है तो मीटर की लागत अनुज्ञप्तिधारी वहन करेगा।

(3) यदि उपभोक्ता के अधिष्ठापन के परीक्षण तथा इसके पश्चात् मीटर के परीक्षण से यह स्थापित होता है कि मीटर उपभोक्ता की त्रुटि, पानी गिरने के कारण मीटर के भीग जाने, उपभोक्ता द्वारा अनाधिकृत भार के संयोजन इत्यादि के कारण जला है तो नये मीटर की लागत उपभोक्ता वहन करेगा, यदि मूल मीटर उसके द्वारा उपलब्ध करवाया गया था। यदि मीटर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध करवाया गया था तो नये मीटर की लागत उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान की जाएगी।

(4) यदि मीटर जला हुआ पाया जाता है तथा यह विश्वास करने का कोई कारण है कि मीटर के बदलाव के लंबित रहने पर अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारी द्वारा सीधा संयोजन प्रदान किया गया था तो विद्युत की चोरी का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। जले हुए मीटर के बदले जाने हेतु उपभोक्ता की शिकायत या विद्युत की आपूर्ति में अवरोध से संबंधित शिकायत इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त समझी जाएगी।

3.2 त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में बिलिंग :

(1) मीटर त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट किये या पाए जाने की तिथि से तुरन्त पूर्ववर्ती तीन पिछले बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर उपभोक्ता को बिल जारी किया जाएगा। ये प्रभार तीन माह की अधिकतम अवधि हेतु उद्ग्रहणीय होंगे जिस अवधि में अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह त्रुटिपूर्ण मीटरों को बदले।

(2) यदि उपभोक्ता के अधिष्ठापन पर मीटर का "अधिकतम मांग संकेतक" (एम.डी.आई.) त्रुटिपूर्ण पाया जाता है या यह कुछ रिकॉर्ड न कर रहा हो (यदि छेड़-छाड़ नहीं की गयी है) तो मांग प्रभार, पिछले वर्ष जब मीटर कार्यरत था व ठीक रिकॉर्ड कर रहा था, के तदनुरूप महीनों/बिलिंग चक्र के दौरान अधिकतम मांग के आधार पर गणना की जाएगी। यदि पिछले वर्ष के तद्नुरूप महीनों/बिलिंग चक्र की रिकॉर्ड की गयी एम.डी.आई. भी उपलब्ध नहीं है तो कम समय के लिए उपलब्ध उच्चतम अधिकतम मांग पर विचारित की जाएगी।

3.3 बिलिंग :

3.3.1 सामान्य :

(1) अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा निर्धारित किये अनुसार क्षेत्रवार, जनपदवार, डिविजन/ सबडिविजनवार या सर्किलवार बिलिंग व भुगतान सारणी अधिसूचित करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, वास्तविक मीटर रीडिंग पर आधारित प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिए बिल जारी करेगा।

(3) उपभोक्ता को प्रत्येक बिल की प्राप्ति (डिलीवरी), बिल के भुगतान के लिए नियत तिथि से 15 दिन पहले करा दी जाएगी।

(4) अस्थायी बिलिंग (औसत उपभोग पर आधारित) दो बिलिंग चक्रों से अधिक के लिए नहीं होगी यदि लगातार दो बिलिंग चक्रों में मीटर पर पहुंच नहीं हो पाती है तो विनियम 3.1.2 (4) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(5) अनुज्ञप्तिधारी को सर्वप्रथम देय होने की तिथि से 02 वर्ष के अधिक के प्रभार वसूलने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसे प्रभार निरन्तर बकाया देय के रूप में दिखाए न गए हों।

(6) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सभी बकाया देयों के बिल में सम्पूर्ण विवरण दिया जाएगा।

3.3.2 बिल विवरण :

बिल में निम्नलिखित विवरण इंगित किये जाएंगे:–

(1) उपभोक्ता का नाम व पता;

(2) सेवा संयोजन संख्या (सर्विस कनेक्शन नम्बर) – यह एक मात्र उपभोक्ता पहचान संख्या है जो कि किसी (पत्र व्यवहार) सम्प्रेषण हेतु संदर्भित की जा सकती है;

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय का नाम, जिसका यह आपूर्ति का कार्यक्षेत्र हो;

(4) पुस्तक संख्या – मीटर पुस्तक संख्या वह पुस्तक है, जहां उपभोक्ता की मीटर रीडिंग का विवरण, मीटर रीडिंग चक्र के दौरान नोट किया जाता है/सॉफ्ट रूप में रखा जाता है;

(5) बिल संख्या;

(6) बिल माह;

(7) बिल का प्रकार– अस्थायी या नियमित;

(8) मीटर संख्या;

(9) मीटर का प्रकार;

(10) मीटर का गुणाकारी तत्व (मीटर का मल्टीप्लाइंग फेक्टर);

(11) उपभोक्ता श्रेणी;

(12) लागू शुल्क (एप्लीकेबल टैरिफ);

(13) अनुज्ञप्तिधारी के पास वर्तमान में जमा प्रतिभूति;

(14) संविदाकृत भार;

(15) बिलिंग अवधि के दौरान अधिकतम मांग (केवल उद्योग श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए);

(16) स्थायी प्रभार/मांग प्रभार;

(17) पिछले बिलिंग चक्र की मीटर रीडिंग, टी.ओ.डी. मीटर के मामले में पिछली प्रत्येक समय–स्लॉट की रीडिंग अलग–अलग उल्लिखित की जाएगी तथा रीडिंग की तिथि;

(18) वर्तमान मीटर रीडिंग, टी.ओ.डी. मीटर के मामले में वर्तमान में प्रत्येक समय स्लॉट की रीडिंग अलग से उल्लिखित की जाएगी तथा मीटर रीडिंग की तिथि;

(19) बिल की गयी यूनिट्स, यह किसी विशेष बिलिंग चक्र के लिए उपभोग की गयी कुल यूनिट्स दर्शाता है। टी.ओ.डी. मीटर के मामले में प्रत्येक टाईम स्लॉट हेतु बिलिंग की गयी यूनिट्स अलग–अलग उल्लिखित की जाएंगी;

(20) ऊर्जा प्रभार;

(21) विद्युत कर;

(22) पिछली बकाया राशि;

(235)

(23) पिछले बकाया का विवरण— जिसके लिए बकाया देय है उस अवधि को इंगित करते हुए, ऊर्जा प्रभार, स्थिर/मांग प्रभार, एल.पी.एस.सी., विद्युत कर इत्यादि;

(24) देय तिथि के पश्चात् किये जाने वाले भुगतान की राशि (पूर्णांकित)— कुल राशि जिसका देय तिथि के पश्चात् भुगतान करना है;

(25) अंतिम तिथि जिस के पूर्व बिल का भुगतान किया जाना है, के सहित देय तिथि;

(26) विलंबित भुगतान अधिभार शुल्क जो कि देय तिथि के भीतर भुगतान न करने पर प्रभारित है। देय तिथि के पश्चात् एक माह के भीतर देय राशि;

(27) देय तिथि के भीतर देय राशि (पूर्णांकित)— देय तिथि से पहले भुगतान की जाने वाली कुल राशि

(28) देय तिथि के पश्चात् देय राशि;

(29) उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति, यदि कुछ है;

(30) पिछले उपभोग का पैटर्न (बिल माह, यूनिट्स, स्थिति) यह पिछले 6 माह हेतु उपभोग का पैटर्न दर्शाता है;

(31) के.वी.ए.एच. बिलिंग व एच.टी. उपभोक्ताओं पर लागू अन्य सूचना जिसे उचित रूप से जोड़ा जाएगा तथा असंबंधित मदों को हटाया जाएगा;

(32) कोई अन्य सूचना जिसे अनुज्ञप्तिधारी उचित समझता हो;

(33) मीटर टिप्पणी—यह मीटर की स्थिति को इंगित करती है।

बिल के पीछे निम्नलिखित विवरण छापे जाएंगे:—

(1) भुगतान का माध्यम व संकलन (कलेक्शन) सुविधाएं।

(2) उपभोक्ता सेवा केन्द्र का पता व दूरभाष नंबर जहां उपभोक्ता बिल संबंधी शिकायत कर सकें।

(3) संरचित मंच का पता व दूरभाष नंबर।

(4) चैक्स व बैंक ड्राफ्ट्स के मामले में प्राप्तकर्ता प्राधिकारी जिस के पक्ष में राशि आहरित की जानी है।

3.3.3 उपभोक्ता बिलों पर शिकायत :

(1) यदि कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता शिकायत की तुरन्त प्राप्ति स्वीकृति करेगा, यदि इसे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया गया हो। डाक से प्राप्त होने पर प्राप्ति की तिथि से 03 दिन के भीतर प्राप्ति स्वीकृति करेगा।

(2) यदि उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित नहीं है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता की शिकायत को सुलझाएगा तथा शिकायत की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर उपभोक्ता को इसका परिणाम सूचित करेगा। यदि अतिरिक्त सूचना अपेक्षित है तो यह प्राप्त की जाएगी, मामले को सुलझाया जाएगा तथा शिकायत प्राप्ति से 30 दिन के भीतर उपभोक्ता को परिणाम की सूचना दी जाएगी। बिल या शिकायत के सुलझने तक उपभोक्ता या तो विवादित बिल में दर्शायी गयी राशि का भुगतान करेगा या पिछले तीन क्रमवार अविवादित बिलों के औसत उपभोग के आधार पर विवादित अवधि के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी अस्थायी बिल का भुगतान करेगा। इस प्रकार वसूल की गयी राशि, शिकायत के सुलझने पर अंतिम समायोजन के अधीन होगी।

(3) उपभोक्ता द्वारा बिल प्राप्त न किये जाने के मामले में, उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी से संपर्क करेगा जो उपरोक्तानुसार देय तिथि विस्तारित कर तत्काल डुप्लिकेट बिल प्रदान करेगा तथा यदि शिकायत सही है तो कोई विलम्ब भुगतान अधिभार उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

3.3.4 बिलों में आने वाले पिछले बकाया :

(1) यदि किसी बिल में पिछला बकाया पहली बार दिखाया गया है जिसके लिए देय तिथि के भीतर भुगतान किया जा चुका है या जो अनुज्ञप्तिधारी को देय नहीं है तो अनुज्ञप्तिधारी, रू0 500.00 की सीलिंग के अधीन बकाया राशि का 10 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति उपभोक्ता को करेगा।

(2) यदि उक्त बकाया दूसरी बार फिर से दर्शाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को रू0 750.00 की सीलिंग के अधीन बकाया राशि के 15 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति देनी होगी।

(3) यदि बिल में कोई पिछली बकाया राशि दिखाई जाती है जिसका भुगतान देय तिथि के पश्चात् किया गया है तो क्षतिपूर्ति का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा बकाया जिसका भुगतान कर दिया गया है, आगे के बिल/बिलों में दर्शाया जाता है तो इस मामले को उपरोक्त खण्ड (1) व (2) के अनुसार निपटाया जाएगा।

(4) खण्ड (1) व (2) में उल्लिखित क्षतिपूर्ति उस बिल के लिए भुगतान करते समय समायोजित की जाएगी जिस बिल में यह बकाया दिखाया गया है। अनुज्ञप्तिधारी के बिल संग्रह केन्द्रों में इस आशय का नोटिस प्रमुखता से दर्शाया जाएगा।

(5) यदि बकाया, जैसे कि खण्ड (1) व (2) में उल्लिखित है, तीसरी बार या उसके पश्चात् दर्शाया जाता है तो उपभोक्ता मंच के सम्मुख वाद प्रस्तुत करने का हकदार होगा तथा मंच भिन्न–भिन्न मामलों के आधार पर ऐसे उपभोक्ता को उदाहरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित करेगा।

(6) इस विनियम के उपबंध उन बिलों पर भी लागू होंगे जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गलत रूप में जारी किये गये हैं।

3.3.5 परिसर की रिक्तता/कब्जे में परिवर्तन :

(1) यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह कब्जे में परिवर्तन या परिसर के रिक्त होने के समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विशेष रीडिंग करवाएं तथा उससे राशि बकाया नहीं, का प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।

(2) अनुज्ञप्तिधारी से उपभोक्ता लिखित में अनुरोध करेगा कि, वर्तमान उपयोगकर्ता द्वारा परिसर को खाली करने या कब्जे में परिवर्तन, जो भी मामला हो, के कम से कम 7 दिन पहले विशेष रीडिंग ली जाए।

(3) अनुज्ञप्तिधारी विशेष रीडिंग लेने की व्यवस्था करेगा तथा परिसर के रिक्त होने से कम से कम तीन दिन पहले बिलिंग की तिथि से पहले के सभी बकाया सहित अंतिम बिल भेजेगा। इस प्रकार जारी अंतिम बिल में यह उल्लिखित किया जाएगा कि अब परिसर पर कोई देय लंबित नहीं है तथा यह बिल अंतिम है। अंतिम बिल में आनुपातिक आधार पर, परिसर के रिक्त होने की तिथि तथा विशेष रीडिंग के मध्य की अवधि हेतु भुगतान भी सम्मिलित होगा।

(4) एक बार अंतिम बिल जारी हो जाने पर अनुज्ञप्तिधारी को, ऐसे बिल की तिथि से पूर्व की किसी अवधि के लिए अंतिम बिल में दिये गये प्रभार/प्रभारों के अतिरिक्त कोई प्रभार वसूलने का अधिकार नहीं होगा। अनुज्ञप्तिधारी परिसर के रिक्त हो जाने पर इसकी आपूर्ति विच्छेदित कर देगा। यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसर के रिक्त होने पर भुगतान करे व अनुज्ञप्तिधारी, इस भुगतान को प्राप्त करने पर कोई मांग नहीं प्रमाण–पत्र जारी करेगा। तथापि कब्जे में परिवर्तन के मामलों में संयोजन विच्छेदित नहीं किया जाएगा तथा नाम के परिवर्तन हेतु वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् यह परिवर्तन किया जाएगा।

3.3.6 उपभोक्ता द्वारा स्वयं निर्धारण पर भुगतान :

(1) बिल प्राप्त न होने के मामले में उपभोक्ता, जिस अवधि के लिए बिल प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए विनियमों में संलग्नक–VI में निर्धारित प्रारूप में स्वयं निर्धारित बिल जमा कर सकता है। बशर्ते कि यह पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग से कम न हो। उपभोक्ता द्वारा किया गया ऐसा भुगतान अगले बिल में समायोजित किया जाएगा।

(2) अधिभार लगाने संबंधी विवाद के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता द्वारा प्रतिवाद किये जाने की तिथि से एक बिलिंग चक्र के भीतर विवाद का निस्तारण करेगा।

3.3.7 उपभोक्ता द्वारा पूर्वानुमानित बिल का अग्रिम भुगतान :

(1) यदि कोई उपभोक्ता अग्रिम एक मुश्त भुगतान करना चाहता है जिसमें से बिल की गयी राशि आवधिक रूप से काट ली जाए तो वह विनियमों के संलग्नक–VII में निर्धारित प्रारूप में अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन कर सकता है।

(2) ऐसी व्यवस्था का चयन करने वाले उपभोक्ता को एक पास बुक जारी की जाएगी जिसमें समय–समय पर जमा की गयी राशि, प्रत्येक बिलिंग चक्र के पश्चात् विद्युत देयों के समक्ष समायोजित की गयी राशि तथा अवशेष दिखाया जाएगा। ऐसी अग्रिम जमा पर बाकी बची राशि पर सेविंग्स बैंक एकाउन्ट हेतु भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित ब्याज दर से ब्याज दिया जाएगा। ब्याज की गणना त्रैमासिक रूप से की जाएगी।

(3) यदि उपभोक्ता का परिसर कुछ समय के लिए रिक्त रहता है तथा वह अग्रिम एक मुश्त भुगतान जमा करना चाहता है तो विनियम 3.1.2 (6) लागू होगा।

अध्याय 4—विच्छेदन व पुनर्संयोजन

4.1 अनुज्ञप्तिधारी के देयों का भुगतान न करने पर विच्छेदन :

(1) अनुज्ञप्तिधारी अपने देयों के भुगतान हेतु स्पष्ट 15 दिन देकर, उपभोक्ता द्वारा देयों का भुगतान न करने पर अधिनियम की धारा 56 के अनुसार उपभोक्ता को लिखित में विच्छेदन का नोटिस जारी करेगा। इसके पश्चात् उक्त नोटिस अवधि के समाप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के संयोजन को विच्छेदित कर सकेगा। यदि उपभोक्ता पिछले बकाया सहित सभी देयों का भुगतान, विच्छेदन की तिथि से 6 माह के भीतर नहीं करता है तो ऐसे संयोजन को स्थायी रूप से काट दिया जाएगा।

(2) उपरोक्त लिखित तरीके से जिन उपभोक्ताओं का संयोजन विच्छेदित किया गया है, उनको अनधिकृत संयोजन लेने से रोकने के लिए अनुज्ञप्तिधारी कदम उठाएगा। जहां–कहीं अनुज्ञप्तिधारी को यह पता लगेगा कि संयोजन को अनधिकृत रूप से पुनः संयोजित किया गया है वहां अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 138 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की पहल कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि अनुज्ञप्तिधारी को यह पता लगता है कि किसी अन्य सक्रिय संयोजन के माध्यम से ऐसे परिसर को आपूर्ति बहाल कर दी गयी है तो उक्त विच्छेदित संयोजन के सभी बकाया देय ऐसे सक्रिय संयोजन के खाते में अन्तरित कर दिये जाएंगे तथा ऐसे अन्तरित देयों का भुगतान न किया जाना उपरोक्त उपविनियम (1) के अनुसार माना जाएगा।

4.2 उपभोक्ता के अनुरोध पर विच्छेदन/स्थायी विच्छेदन :

(1) यदि उपभोक्ता अपने संयोजन को विच्छेदित करवाना चाहता है तो वह विनियमों के संलग्नक–VIII में निर्धारित प्रारूप पर इसके लिए आवेदन करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी एक विशेष रीडिंग लेगा तथा ऐसे अनुरोध से 5 दिन के भीतर ऐसी बिलिंग की तिथि तक सभी बकाया सम्मिलित कर अंतिम बिल तैयार करेगा। भुगतान हो जाने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी रसीद जारी करेगा जिस पर "अंतिम बिल" का स्टैम्प लगा होगा। इस रसीद को "नो ड्यूज प्रमाण–पत्र" के रूप में माना जाएगा।

(3) इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी को, बिलिंग की इस तिथि के पहले किसी अवधि के लिए कोई प्रभार वसूल करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, विच्छेदन के पश्चात् कोई बिल जारी नहीं करेगा। यदि विच्छेदन के पश्चात् भी बिल जारी किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदर्शन के मानकों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।

4.3 पुनर्संयोजन :

(1) यदि उपभोक्ता, विच्छेदन के पश्चात् छः माह की अवधि के भीतर पुनः संयोजन के लिए अनुरोध करता है तो अनुज्ञप्तिधारी, पिछले देयों व पुनर्संयोजन प्रभार के भुगतान के पांच (5) दिन के भीतर उपभोक्ता के संयोजन को पुनः संयोजित करेगा।

(2) तथापि, यदि उपभोक्ता, विच्छेदन के छः माह पश्चात् पुनर्संयोजन के लिए अनुरोध करता है तो, उस श्रेणी के उपभोक्ता हेतु लागू प्रतिभूति जमा, सेवा लाईन प्रभार, लंबित देयों के भुगतान सहित उपभोक्ता द्वारा नये संयोजन हेतु अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् ही संयोजन पुनः संयोजित किया जाएगा।

अध्याय 5–चोरी तथा विद्युत का अनधिकृत उपयोग

5.1 विद्युत चोरी :

5.1.1 विद्युत चोरी के लिए मामला दर्ज करने हेतु प्रकिया :

(1) अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 135 के अनुसार विभिन्न डिविजन्स के अधिकृत अधिकारियों की एक सूची प्रकाशित करेगा, इसको सभी जिला कार्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा तथा ऐसे अधिकारियों को जारी फोटो पहचान–पत्र में उनका अधिकृत होना इंगित करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 135 के अधीन अधिकृत अधिकारी, विद्युत की चोरी से संबंधित विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से ऐसे परिसर का तत्काल निरीक्षण संचालित करेगा।

(3) इस प्रकार अधिकृत अधिकारी के नेतृत्व में अनुज्ञप्तिधारी की निरीक्षण टीम अपने साथ अपने पहचान–पत्र लेकर जाएगी। परिसर में प्रवेश करने से पहले ये पहचान–पत्र उपभोक्ता को दिखाए जाएंगे। अधिकृत अधिकारी के पहचान–पत्र में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा कि अधिनियम की धारा 135 के उपबंधों के अनुसार उसे अधिकृत अधिकारी नामित किया गया है।

(4) अधिकृत अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें यह विवरण दिये जाएंगे, जैसे कि संयोजित भार, मीटर की सीलों की अवस्था, मीटर का चलना तथा संलग्नक–ix में दिये प्रारूप के अनुसार नोटिस की गयी कोई अनियमितता (जैसे कि छेड़छाड़ किया गया मीटर, वर्तमान रिवर्सिंग ट्रांसफॉर्मर, ऊर्जा की चोरी के लिए अपनाए गये कृत्रिम साधन)।

(5) रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा कि ऊर्जा चोरी के तथ्य को प्रमाणित करने वाला साक्ष्य पाया गया या नहीं। ऐसे साक्ष्य का विवरण रिपोर्ट में अभिलिखित किया जाएगा।

(6) केवल मीटर पर सील न होने या मीटर के कांच पर टूट–फूट या छेड़छाड़ होने मात्र से चोरी का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, जब तक कि उपभोक्ता के उपभोग पैटर्न से या किसी उपलब्ध साक्ष्य से इसे संपुष्ट न किया जाए।

(7) यदि इस बात का पर्याप्त साक्ष्य पाया जाता है जिससे ऊर्जा की प्रत्यक्ष चोरी स्थापित होती हो तो अनुज्ञप्तिधारी आपूर्ति को विच्छेदित कर देगा तथा परिसर से वायर्स/केबल्स, मीटर, सेवा लाईन इत्यादि सहित सभी तात्विक साक्ष्य जब्त कर लेगा तथा निरीक्षण से दो कार्य दिवसों के भीतर, अधिनियम की धारा 135 के उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ता के खिलाफ अभिहित विशेष न्यायालय में केस फाईल करेगा। अनुज्ञप्तिधारी संलग्नक–x में दिये निर्धारण फॉर्मूला के अनुसार पिछले बारह (12) माहों के लिए ऊर्जा उपभोग का पृथक रूप से निर्धारण करेगा तथा लागू टैरिफ की दर के तीन (3) गुना का अंतिम बिल तैयार कर उपभोक्ता को देगा व उचित रसीद प्राप्त करेगा।

(8) संदिग्ध चोरी के मामले में अधिकृत अधिकारी (छेड़छाड़ किये गये) मीटर को नहीं हटाएगा, किन्तु इसकी आपूर्ति काट देगा तथा एक नये मीटर, जिसकी उचित रेटिंग हो, के माध्यम से आपूर्ति बहाल करेगा। ऐसे मामलों में अनुज्ञप्तिधारी परिसर में संयोजित भार की जांच करेगा, छेड़छाड़ किये गये मीटर पर संख्याकृत सुभिन्न सील लगाएगा तथा रिपोर्ट में इसका विवरण अभिलिखित भी करेगा। पुराने व नये मीटरों की मीटर विवरण शीट, उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को दी जाएगी।

(9) रिपोर्ट में अधिकृत अधिकारी व निरीक्षण टीम के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा उचित रसीद प्राप्त कर इसकी प्रति तत्काल स्थल पर उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को दी जाएगी। यदि उपभोक्ता स्वीकार करने या रसीद प्रदान करने से इन्कार करता है तो इन्सपैक्शन रिपोर्ट की एक प्रति, परिसर के भीतर/बाहर एक प्रमुख स्थान पर चिपका दी जाए तथा उसका फोटोग्राफ ले लिया जाए। इसके साथ ही साथ रिपोर्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से उपभोक्ता को भेजी जाएगी।

(10) संदिग्ध चोरी के मामले में/उपभोग का पैटर्न पिछले एक वर्ष हेतु यदि उचित रूप से एक समान है तथा टैरिफ आदेश में अस्थायी बिलिंग हेतु इंगित मानकीय उपभोग व संयोजित भार के आधार पर निर्धारित उपभोग के 75 प्रतिशत से कम नहीं है तो कोई आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा 3 दिन के भीतर उचित रसीद प्राप्त कर उपभोक्ता को इस निर्णय की सूचना दी जाएगी।

(11) यदि पिछले एक वर्ष हेतु उपभोग का पैटर्न, उपरोक्त उपविनियम–X के अनुसार निर्धारित के 75 प्रतिशत से कम है तो उपभोक्ता के विरुद्ध चोरी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनाया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी, निरीक्षण के 15 दिनों के भीतर एक कारण बताओ नोटिस उपभोक्ता को जारी करेगा कि क्यों न उसके विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज किया जाए। इस निर्णय पर पहुंचने का पूर्ण विवरण भी दिया जाए। नोटिस पर स्पष्ट रूप से दिनांक व समय अंकित किया जाए जो 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए तथा स्थान का उल्लेख हो जहां पर जवाब दाखिल किया जाना है। साथ में, जिस व्यक्ति को इसे संबोधित किया जाना है उसका पदनाम भी उल्लिखित किया जाए।

5.1.2 संदिग्ध चोरी के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई :

(1) यदि उपभोक्ता का अनुरोध हो तो उपभोक्ता का उत्तर प्राप्त होने की तिथि से 4 कार्य दिवसों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी एक व्यक्तिगत सुनवाई की व्यवस्था करेगा। यदि नियत तिथि व समय पर उपस्थित रहने में उपभोक्ता विफल रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी मामले में एक तरफा कार्यवाही कर सकेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर उचित रूप से विचार करेगा तथा 3 दिन के भीतर कारण देते हुए आदेश पास करेगा कि चोरी का मामला स्थापित हुआ है या नहीं। कारण बताते हुए दिये गये आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट का सारांश, अपने लिखित उत्तर में उपभोक्ता द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण व व्यक्तिगत सुनवाई के समय मौखिक प्रस्तुतिकरण तथा इसके स्वीकार करने या निरस्त करने के कारणों का समावेश होगा।

(3) यदि यह निर्णय होता है कि चोरी का मामला स्थापित नहीं हुआ है तो किसी आगे की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी तथा मूल मीटर से संयोजन बहाल किया जाएगा।

(4) जहां यह स्थापित हो जाता है कि मामला ऊर्जा की चोरी का है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की सेवा लाईन, मीटर हटाकर आपूर्ति विच्छेदित कर देगा तथा अधिनियम की धारा 135 के उपबंधों के अनुसार, अभिहित विशेष न्यायालय में चोरी का मामला फाईल करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, संलग्नक–X में दिये निर्धारण फॉर्मूला के अनुसार पिछले बारह (12) महीनों के लिए ऊर्जा के उपभोग का निर्धारण भी करेगा तथा लागू टैरिफ की दरों का 3 गुना का अंतिम निर्धारण बिल तैयार कर उपभोक्ता को देगा व इसकी रसीद प्राप्त करेगा। उपभोक्ता को इसे उचित रूप से प्राप्त करने के सात कार्य दिवसों के भीतर इसका भुगतान करना होगा।

(5) निर्धारण की गयी राशि तथा नये संयोजन के लागू प्रभार का भुगतान प्राप्त हो जाने पर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता का संयोजन पुनः सक्रिय कर सकेगा।

5.1.3 सामान्य :

निर्धारण बिल बनाते समय अनुज्ञप्तिधारी, निर्धारण बिल की अवधि के लिए उपभोक्ता द्वारा पहले से ही किये गये भुगतान के लिए उपभोक्ता को आगणित करेगा। बिल में, जहां इसे जमा किया जाना है, जमा किये जाने के दिवस व समय को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। ऐसे सभी भुगतान केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक पे ऑर्डर्स द्वारा ही किये जाएंगे। चैक्स, प्रॉमिसरी नोट स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

5.2 विद्युत का अनधिकृत उपयोग (यू.यू.ई.) :

5.2.1 विद्युत के अनधिकृत उपयोग के लिए मामला दर्ज करने की प्रक्रिया :

(1) अनुज्ञप्तिधारी सभी जिला कार्यालयों में प्रमुखता से, अधिनियम की धारा 126 के अनुसार विभिन्न जिलों में निर्धारण अधिकारियों की सूची प्रकाशित करेगा तथा इन अधिकारियों को जारी फोटो पहचान–पत्र में भी इसे इंगित किया जाएगा।

(2) निर्धारण अधिकारी, यू.यू.ई. के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से ऐसे परिसर का तत्काल निरीक्षण संचालित करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी की निरीक्षण टीम अपने साथ अपने फोटो पहचान–पत्र लेकर जाएगी। परिसर पर प्रवेश करने से पहले उपभोक्ता को फोटो पहचान–पत्र दिखाए जाने चाहिएं। निर्धारण अधिकारी के फोटो पहचान–पत्र में यह स्पष्ट रूप से इंगित होगा कि अधिनियम की धारा 126 के उपबंधों के अनुसार उसे निर्धारण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(4) निर्धारण अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें यह विवरण संलग्नक–ix में दिये प्रारूप में होंगे जैसे कि संयोजित भार, सीलों की अवस्था, मीटरों का चलना तथा नोटिस की गयी कोई अन्य अनियमितता (जैसे यू.यू.ई. के लिए अपनाए गये कोई कृत्रिम साधन)।

(5) रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से इंगित होगा कि यू.यू.ई. पाया गया है। इस तथ्य को संपुष्ट करने का पर्याप्त साक्ष्य पाया गया है या नहीं। ऐसे साक्ष्य का विवरण रिपोर्ट में अभिलिखित किया जाना चाहिए।

(6) रिपोर्ट पर निर्धारण अधिकारी व निरीक्षण टीम के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा उचित रसीद प्राप्त कर तत्काल स्थल पर उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को दी जाएगी। रसीद देने या इसे स्वीकार किये जाने पर उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि के इन्कार करने पर निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्रमुख स्थान पर परिसर के भीतर/बाहर चिपका कर उसका एक फोटोग्राफ ले लिया जाएगा। इसके साथ ही उपभोक्ता को निरीक्षण रिपोर्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जाएगी।

(7) निरीक्षण के 7 दिन के भीतर अनुज्ञप्तिधारी 7 कार्यदिवस का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि ऐसे उपभोक्ता के विरुद्ध क्यों न यू.यू.ई. का मामला दर्ज किया जाए। नोटिस में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाएगा कि उत्तर किस तिथि पर, किस स्थान पर व किस समय प्रस्तुत किया जाए तथा उस व्यक्ति का पदनाम भी उल्लिखित किया जाए जिसे यह उत्तर संबोधित किया जाना है।

5.2.2 उपभोक्ता के उत्तर का प्रस्तुतिकरण :

(1) निरीक्षण रिपोर्ट/कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस के भीतर उपभोक्ता उत्तर देगा अथवा निर्धारित शुल्क जमा कर अनुज्ञप्तिधारी से दुबारा स्थल के सत्यापन का अनुरोध करेगा।

(2) ऐसे अनुरोध की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर का दुबारा निरीक्षण करवाने की व्यवस्था करेगा तथा स्थल का सत्यापन करेगा।

(3) दुबारा निरीक्षण की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता के अनुरोध पर सभी दस्तावेजों, उपभोक्ता द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरणों, अभिलेखन के तथ्यों तथा दुबारा निरीक्षण की रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी मामले का विश्लेषण करेगा। यदि यह निश्चित होता है कि विद्युत का कोई अनधिकृत उपयोग नहीं हुआ है तो यू.यू.ई. का मामला तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा तथा यह निर्णय लेने की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर उचित रसीद प्राप्त कर यह निर्णय उपभोक्ता को संप्रेषित किया जाएगा।

(4) यदि यह निश्चय होता है कि विद्युत का अनधिकृत उपयोग हुआ है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे निर्णय की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर उपभोक्ता के साथ व्यक्तिगत सुनवाई की व्यवस्था करेगा।

5.2.3 व्यक्तिगत सुनवाई :

(1) उपभोक्ता के उत्तर के प्रस्तुतिकरण की तिथि से चार कार्य दिवसों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी, यदि उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है, उपभोक्ता के साथ व्यक्तिगत सुनवाई की व्यवस्था करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर उचित रूप से विचार करेगा तथा पन्द्रह दिनों के भीतर कारण बताते हुए आदेश पारित करेगा कि यू.यू.ई. का मामला निरीक्षण रिपोर्ट के सारांश, अपने लिखित उत्तर में उपभोक्ता द्वारा दिया गया प्रस्तुतिकरण व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिया गया मौखिक प्रस्तुतिकरण तथा इसके स्वीकार या निरस्त किये जाने के कारणों का समावेश होगा।

(3) यदि यू.यू.ई. का मामला स्थापित नहीं होता तो आगे की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी तथा यू.यू.ई. का मामला तत्काल बंद कर दिया जाएगा।

(4) जहां यह स्थापित हो जाता है कि मामला यू.यू.ई. का है, वहां अनुज्ञप्तिधारी संलग्नक–X में दिये निर्धारण फॉर्मूला के अनुसार अन्य श्रेणियों के लिए पिछले छः (6) माह तथा कृषि व घरेलू संयोजनों के लिए पिछले तीन (3) माह के लिए ऊर्जा उपभोग का निर्धारण करेगा तथा लागू टैरिफ का 1.5 गुना का अंतिम निर्धारण बिल तैयार करेगा व उचित रसीद प्राप्त कर इसे उपभोक्ता को देगा। उपभोक्ता को इसकी उचित प्राप्ति के 7 कार्य दिवसों के भीतर इसका भुगतान करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति व अन्य स्थितियों को देखते हुए भुगतान की अंतिम तिथि को विस्तारित कर सकता है या किश्तों में भुगतान की अनुमति दे सकता है। राशि, विस्तारित अंतिम तिथि व/या भुगतान/किश्तों की सारणी, कारण बताते हुए आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए। कारण बताते हुए आदेश की एक प्रति, उचित रसीद प्राप्त कर उपभोक्ता को भी दी जाएगी।

5.2.4 निर्धारण या किश्तों के भुगतान में चूक :

निर्धारण राशि के भुगतान में चूक के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी लिखित में 15 दिन का नोटिस देकर, विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर सकता है, मीटर व सेवा लाईन हटा सकता है।

5.2.5 सामान्य :

(1) अनुज्ञप्तिधारी, यू.यू.ई. पर प्रभार की वापसी के अनुरोध हेतु एक प्रारूप विकसित करेगा।

(2) ऐसे मामलों में जहां यू.यू.ई. के कारण चार्जेज आरम्भ से वापस ले लिये गये हैं, वहां उपभोक्ता द्वारा जमा किया गया दुबारा निरीक्षण का शुल्क अगले विद्युत बिलों में समायोजित किया जाएगा।

(3) यू.यू.ई. के कारण प्रभारों का अधिभार, अधिभार के कारणों में छूट होने तक तथा ऊपर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापित होने तक जारी रहेगा।

अध्याय 6—उपभोक्ता चार्टर सेवा

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी का प्रत्येक अधिकृत प्रतिनिधि अपने नाम का टैग स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा तथा यदि ऐसे उपभोक्ता द्वारा अपेक्षित हो तो उपभोक्ता से किसी वार्तालाप के उद्देश्य हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी अधिकार–पत्र संवीक्षा (स्क्रूटिनी), पहचान का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपभोक्ता अधिकार विवरण–पत्र जैसाकि अधिनियम की धारा 181 (2) (डी) के उपबंधों के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, मांग करने पर उपलब्ध हो तथा इसकी वैबसाईट के माध्यम से डाउनलोड करने योग्य हो।

(3) विद्युत आपूर्ति संहिता व आपूर्ति एवं कार्य निष्पादन के मानक विनियमों की अन्य शर्तों के अतिरिक्त, प्रभारों अनुमोदित अनुसूची व प्रचलित अनुमोदित शुल्क अनुसूची के साथ–साथ आपूर्ति की कोई अन्य अनुमोदित शर्तें, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के किसी वार्ड कार्यालय/खण्ड कार्यालय/सर्किल कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय/उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर पुनरोत्पादन प्रभार का भुगतान कर किसी उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांग पर उपलब्ध करायी जाएंगी तथा इसकी वैबसाईट से डाउनलोड किये जाने योग्य प्रारूप में भी उपलब्ध करायी जाएंगी।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कोई निबंधन व शर्तें चाहे वे आपूर्ति के निबंधन एवं शर्तों के व/या सर्कुलर, आदेश, अधिसूचना या संवाद के दस्तावेज में समाहित हों जो कि इन विनियमों से असंगत हैं, इन विनियमों में प्रवृत्त होने की तिथि से अविधिमान्य समझे जाएंगे।

(5) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से 4 माह की अवधि के भीतर आपूर्ति की शर्तों व निबंधनों को संशोधित व अद्यतन करेगा तथा सभी सर्कुलर्स, आदेशों, किन्हीं अन्य प्रलेखों या उपभोग योग्य विद्युत की आपूर्ति से संबंधित संप्रेषण को इन विनियमोंसुसंगत बनाएगा।

परिशिष्ट–I

कंपनी का नाम मैसर्स ....

अस्थायी संयोजन हेतु आवेदन–पत्र

आवेदन संख्या	

1	आवेदक का नाम (स्वामी/अन्य)						
2. (क)	पता	मकान					
		मार्ग					
		कॉलोनी/क्षेत्र					
		जिला			पिन		
	दूरभाष संख्या (यदि कोई है)			मोबाइल (यदि है)			
2. (ख)	स्थायी पता						
					पिन		
3.	आवेदित भार (कि.वा. में)						
4.	अस्थायी संयोजन का उद्देश्य	1. विवाह/समारोह 2. निर्माण 3. थ्रेशर 4. अन्य					
5.	अस्थायी संयोजन अवधि	अवधि		दिनांक	माह	वर्ष	
			से				
			तक				

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट—II

कंपनी का नाम मैसर्स ....

सम्पत्ति के स्वामित्व/कब्जे में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन हेतु आवेदन—पत्र

आवेदन संख्या	

क.	संयोजन विवरण व वर्तमान संयोजन				
1.	वर्तमान उपभोक्ता	पुस्तक/सं0			
		एस.सी. नं0			
2.	पता जिस पर आपूर्ति प्रदान की गयी है (बिलिंग का पता)	मकान			
		मार्ग			
		कॉलोनी/क्षेत्र			
		जिला		पिन	
3.	वर्तमान उपभोक्ता का नाम (कैपिटल में)				
4.	सम्पत्ति के पिछले स्वामी का नाम				
5.	आवेदक का नाम जिसके नाम पर संयोजन बदला जाना है (कैपिटल में)				
6.	सम्पत्ति के वर्तमान स्वामी का नाम				
7.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का नाम	1. समुचित रूप से भुगतान किये गये नवीनतम बिल की प्रति 2. सम्पत्ति के स्वामित्व का साक्ष्य 3. प्रतिभूति जमा के अंतरण हेतु पिछले स्वामी का प्रमाण—पत्र			

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट– III

कंपनी का नाम मैसर्स...

कानूनी वारिस को उपभोक्ता के नाम के परिर्वतन हेतु आवेदन–पत्र

आवेदन संख्या	

क.	पिछले स्वामी का संयोजन विवरण				
1.	वर्तमान उपभोक्ता	पुस्तक सं0			
		एस.सी. नं0			
2.	पता जिस पर आपूर्ति प्रदान की गयी है (बिलिंग पता)	मकान			
		मार्ग			
		कॉलोनी / क्षेत्र			
		जिला		पिन	
3.	वर्तमान उपभोक्ता का नाम (कैपिटल में)				
	दूरभाष सं0 (यदि कोई है)			मोबाइल (यदि है)	
ख.	नये स्वामी का विवरण				
1.	आवेदक का नाम (कैपिटल मे) जिस के नाम पर संयोजन का स्थानान्तरण होना है				
	दूरभाष सं.			मोबाइल	
	ई–मेल				
2.	दस्तावेजों की सूची	1. समुचित रूप से भुगतान किये गये नवीनतम बिल की प्रति 2. दाखिल खारिज पत्र की प्रति / कानूनी वारिस 3. यदि कानूनी वारिसों में से एक के नाम संयोजन का स्थानान्तरण किया जाना है तो अन्य कानूनी वारिसों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र			

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

(330)

परिशिष्ट—IV

कंपनी का नाम   मैसर्स ....

श्रेणी के परिवर्तन हेतु आवेदन—पत्र

आवेदन संख्या	

उपयोग की वर्तमान श्रेणी		परिवर्तित किये जाने वाले उपयोगों की श्रेणी	

1.	उपभोक्ता का नाम (कैपिटल में)				
2.	पता	मकान			
		मार्ग			
		कॉलोनी / क्षेत्र			
		जिला		पिन	
	दूरभाष संख्या (यदि कोई है)		मोबाइल नम्बर (यदि है)		
3.	क) वर्तमान उपभोक्ता	पुस्तक सं0			
		एस0सी0 सं0			
	ख) विद्युत बिल के अनुसार वर्तमान भार (के.डब्ल्यू. / एच.पी.)				
4.	इच्छित श्रेणी का परिवर्तन				

दिनांक   आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–V

मीटर परीक्षण रिपोर्ट

1. **उपभोक्ता विवरण :**

उपभोक्ता का नाम (कैपिटल में) ....

पता : ....

....

उपभोक्ता एस0सी0 सं0/पुस्तक सं0 : ....

संविदाकृत भार : ....

2. **मीटर विवरण :**

मीटर सं0 : .... आकार ....

डायल सं0 : ....

प्रकार : .... सी0टी0 रेशियो ....

ई/एल. एल.ई.डी. स्थिति आर.ई.वी. एल.ई.डी. स्थिति

3. **रिवोल्यूशन/पल्स परीक्षण :**

मीटर कॉन्स्टेन्ट : .... भार ....

परीक्षण से पहले की रीडिंग : .... परीक्षण के पश्चात् रीडिंग : ....

रिवोल्यूशन/ली गयी पल्स की सं0 .... परीक्षण में लगा वास्तविक समय ....

मीटर द्वारा रिकॉर्ड की गयी ऊर्जा .... एक्यू चेक द्वारा रिकॉर्ड की गयी ऊर्जा ....

त्रुटि : ....

परिणाम :

उपभोक्ता मीटर द्वारा रिकॉर्ड किया गया ....प्रतिशत कम/अधिक उपभोग, बदलाव की आवश्यकता है/परिणाम सीमा के भीतर है।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षण, आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

1(एक) के.डब्ल्यू.एच. के लिए परीक्षण हेतु ....के. डब्ल्यू. के बाह्य भार का उपयोग किया गया व कुल समय..........मिनट–सेकेण्ड था। पल्सेज/रिवोल्यूशन की गणना करने के लिए ऑप्टिकल स्कैनर का उपयोग कर परीक्षण किया गया।

उपभोक्ता के हस्ताक्षर कम्पनी के अधिकारी के हस्ताक्षर

नोटः–विभिन्न बाह्य भारों हेतु परीक्षण के लिए लगने वाला समय लगभग निम्नलिखित था :–

भार (के.डब्ल्यू. में)	लगभग समय (मिनटों में)
1 के.डब्ल्यू.	100
2 के.डब्ल्यू.	50
3 के.डब्ल्यू.	30

परिशिष्ट– VI

कंपनी का नाम मैसर्स ....

स्वयं निर्धारित बिल हेतु आवेदन–पत्र

आवेदन संख्या	

1.	उपभोक्ता का नाम (कैपिटल में) (स्वामी / अन्य)				
2.	पता	मकान			
		मार्ग			
		कॉलोनी / क्षेत्र			
		जिला		पिन	
3.	एस.सी.सं. / पुस्तक सं.				
				दिनांक	
4.	रीडिंग पर आधारित (स्वयं ली गयी)	1. पिछली रीडिंग			
		2. वर्तमान रीडिंग			
		3. कुल उपभोग			
		राशि			
5.	पिछले 6 माहों के औसत उपभोग पर आधारित	राशि			
6.	भुगतान का तरीका	चैक डी.डी. / पी.ओ. कैश			

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट– VII

कंपनी का नाम मैसर्स ....

पूर्वानुमानित बिलों के अग्रिम भुगतान हेतु आवेदन—पत्र

आवेदन संख्या	

1.	उपभोक्ता का नाम (कैपिटल में) (स्वामी / अन्य)				
2.	पता	मकान			
		मार्ग			
		कॉलोनी / क्षेत्र			
		जिला		पिन	
	दूरभाष नं0 (यदि कोई है)			मोबाइल (यदि कोई हैं)	
3.	एस.सी. सं./				
	पुस्तक सं.				
				पिन	
4. ए)	किया जा रहा अग्रिम भुगतान				
4. बी)	पिछले देय (यदि कोई हैं)				
4. सी)	कुल अग्रिम भुगतान				
5.	भुगतान का तरीका	चैक	विवरण		
		डी.डी. / पी.ओ.			
		कैश			

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–VIII

कंपनी का नाम   मैसर्स ....

उपभोक्ता के निवेदन पर विच्छेदन/स्थायी विच्छेदन हेतु प्रार्थना–पत्र

आवेदन संख्या	

1.	वर्तमान उपभोक्ता	पुस्तक संख्या एस.सी. संख्या			
2.	उपभोक्ता का नाम (कैपिटल में)				
3.	पता, जिस पर आपूर्ति का विच्छेदन अपेक्षित है	मकान			
		मार्ग			
		कॉलोनी/क्षेत्र			
		जिला		पिन	
	दूरभाष नं0 (यदि कोई है)			मोबाइल (यदि कोई है)	
4.	तिथि, जिस पर विच्छेदन किया जाना है				
5.	दस्तावेजों की सूची	1. समुचित रूप से भुगतान किये गये नवीनतम बिल की प्रति			

दिनांक   आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–IX

चोरी तथा विद्युत के अनधिकृत उपयोग के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट

निरीक्षण की तिथि		क्रम सं./ (पुस्तिका संख्या)
उपभोक्ता का नाम		खण्ड
		सर्किल/जोन
उपयोगकर्ता का नाम		एस.सी. नं.
पता		पुस्तक सं.
		भार विवरण
		संविदाकृत भार
		बिलिंग मांग
		कुल संयोजित भार
		श्रेणी/टैरिफ कोड

अनियमितता का प्रकार

	अनधिकृत उपयोग		संदिग्ध चोरी
	चोरी		

मीटर विवरण	सीलों व केबल्स की स्थिति	
मीटर सं0 (पेन्ट किया गया)...........	सी.टी. बॉक्स सील नं0	पाया ....
मीटर सं0 (डायल)	मीटर बॉक्स सील नं0	पाया ....
रीडिंग के.डब्ल्यू.एच.	मीटर टर्मिनल सील नं0	पाया ....
रीडिंग के.वी.ए.एच. .... रीडिंग के.वी.ए.आर.एच. .... एम.डी.आई.	हाफ सील नं0	पाया ....
पावर फैक्टर		
आकार	एक्यूचेक परिणाम	
प्रकार	मीटर का चालन	पाया ....
सी.टी. रेशियो	केबल की स्थिति	पाया ....

परिशिष्ट–IX (जारी)

शंट कैपेसिटर .... रेटिंग मेक के ....संख्या के शंट कैपेसिटर पावर फैक्टर को बनाये रखने के लिए अधिष्ठापित पायी गयी/कोई शंट कैपेसिटर अधिष्ठापित नहीं पाया गया। पावर फैक्टर मापने पर .... लेगिंग पाया गया।

संयोजित भार विवरण

स्थापना प्रकार .... कार्य के घण्टे ....कार्य की परिस्थिति ....

(फैक्ट्री/दुकान का विशिष्ट प्रकार)

सील का विवरण

निरीक्षण टीम द्वारा अन्य अवलोकन :

उपभोक्ता का नाम व हस्ताक्षर

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

परिशिष्ट–X

चोरी/छुटपुट चोरी (पिलफरेज) के मामलों में विद्युत का निर्धारण

चोरी/छुटपुट चोरी के (पिलफरेज) मामलों में विद्युत का निर्धारण निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा:–

निर्धारित यूनिटें = L x D x H x F

जबकि 'एल' में भार है (संयोजित/संविदाकृत भार जो भी अधिक है) के.डब्ल्यू. में जहां के.डब्ल्यू.एच. रेट लागू हैं तथा के.वी.ए. में जहां के.वी.ए.एच. रेट लागू हैं।

'डी' प्रतिमाह कार्यदिवस की संख्या हैं जिसके दौरान चोरी/छुटपुट चोरी (पिलफरेज) संदिग्ध है तथा निम्न रूप से उपयोग की विभिन्न श्रेणियों के लिए ली जाएगी :–

क)	निरंतर उद्योग	30 दिन
ख)	अनिरंतर उद्योग	25 दिन
ग)	घरेलू उपयोग	30 दिन
घ)	कृषि	30 दिन
ङ)	अघरेलू (निरंतर) यथा अस्पताल, होटल एवं जलपान गृह, अतिथि गृह, नर्सिंग होम, पैट्रोल पम्प	30 दिन
च)	अघरेलू (सामान्य) अर्थात् अन्य से इतर (ङ)	25 दिन

'एच' प्रतिदिन आपूर्ति के घण्टों का उपयोग है जिसे निम्नलिखित रूप से उपयोग की विभिन्न श्रेणियों हेतु लिया जाएगा:–

क)	एकल शिफ्ट उद्योग (केवल दिन/रात)	10 घण्टे
ख)	अनिरंतर उद्योग (दिन व रात)	20 घण्टे
ग)	निरंतर उद्योग	24 घण्टे
घ)	अघरेलू (सामान्य) जिसमें जलपान गृह, होटल, अस्पताल, नर्सिंग होम, अतिथि गृह, पैट्रोल पम्प सम्मिलित हैं	20 घण्टे
ङ)	घरेलू	08 घण्टे
च)	कृषि	10 घण्टे

'एफ' लोड फैक्टर है जिसे उपयोग की विभिन्न श्रेणियों हेतु निम्न रूप में लिया जाएगा:–

क)	औद्योगिक	60 %
ख)	अघरेलू	60 %
ग)	घरेलू	40 %
घ)	कृषि	100 %
ङ)	प्रत्यक्ष चोरी	100 %

घरेलू पानी के पम्प, माइक्रोवेव ओवन्स, वॉशिंग मशीन व छोटे–मोटे घरेलू उपकरणों के चलाने के लिए वास्तविक घरेलू उपयोग के मामलों में निर्धारण के उद्देश्य के लिए कार्य के घण्टे 100 प्रतिशत भार फैक्टर पर प्रतिदिन "एक" कार्य घण्टे से अधिक हेतु नहीं लिये जाएंगे।

परिशिष्ट–X (जारी)

अस्थायी संयोजन के मामले में ऊर्जा का निर्धारण

अस्थायी संयोजन के मामले में, ऊर्जा की छुटपुट चोरी (पिलफरेज) हेतु निर्धारण निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार किया जाएगाः–

निर्धारित यूनिटें = L x D x H, जबकि

एल = भार (संयोजित/संयोजित घोषित/संविदाकृत भार जो भी अधिक हो) के.डब्लू. में जहां के.डब्ल्यू.एच. रेट लागू हों तथा जहां के.वी.ए.एच. रेट लागू हों, वहां के.वी.ए. में।

'डी' = दिनों की संख्या जिनके लिए आपूर्ति का उपयोग किया गया है।

'एच' = 12 घण्टे

एपेन्डिक्स—1

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल टी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि एवं कमी) विनियम, 2007

अधिसूचना

फरवरी 26, 2007

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 व धारा 57 के साथ पठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व लागू होना :

(1) ये विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल टी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2007 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगे।

(3) ये विनियम संम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होंगे।

(4) ये विनियम केवल एल टी संयोजनों पर लागू होंगे, इनमें नये संयोजन प्रदान करना तथा पहले स्वीकृत भारों में वृद्धि या कमी करना सम्मिलित होगा।

2. परिभाषाएं—

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) "विकासक" से ऐसा व्यक्ति या कम्पनी या संगठन या प्राधिकारी, अभिप्रेत है जो आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोग हेतु किसी क्षेत्र को विकसित करने के लिए जिम्मेदारी लेता है तथा इसमें विकास अभिकरण (जैसे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण इत्यादि) कॉलोनाइजर्स, बिल्डर्स, सहकारी सामूहिक आवासीय समितियाँ, संघ इत्यादि सम्मिलित हैं;

(2) "विद्युतीकरण क्षेत्र" से नगर निगम, नगर पालिका, नगरपालिका परिषद, नगर क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र व अन्य नगर निकाय व गांवों में अनुज्ञापी/राज्य सरकार द्वारा विद्युतीकृत घोषित क्षेत्र अभिप्रेत होंगे;

(3) "छोड़े हुए लघु क्षेत्र" से एक विद्युतीकृत क्षेत्र के भीतर कोई क्षेत्र अभिप्रेत होंगे—

(क) जहां अनुज्ञापी ने कोई वितरण मेन लाईन नहीं बिछायी है तथा समीपस्थ वर्तमान वितरण मेन 201 मीटर या इससे अधिक दूरी पर है,

(ख) किसी विकासक द्वारा विकसित या विकसित किये जा रहे आवासीय या व्यवसायिक कॉलोनी/कॉम्पलेक्स, जिसमें ऐसी कॉलोनी/काम्पलेक्स, के भीतर वितरण मेन बिछाये ही नहीं गये हैं या ऐसी कॉलोनी/कॉम्पलेक्स का संभावित भार उठाने की क्षमता नहीं है या ऐसी अवमानक गुणवत्ता वाले हैं कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 में अनुबंधित प्रतिमानकों को पूरा नहीं करते हैं जिसमें जीवन व संम्पत्ति की हानि की संभावना है;

(4) "बकाया देयों" से विच्छेदन के समय पर उक्त परिक्षेत्र पर सभी लंबित देय तथा देर से संदाय अधिभार, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (2) के अधीन हों, अभिप्रेत हैं;

(5) "नियमों" से भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 या भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन संरचित है उनके परवर्ती नियम अभिप्रेत हैं;

(6) इन विनियमों में प्रयुक्त सभी शब्दों व अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं है किन्तु विद्युत अधिनियम,2003 में परिभाषित हैं।

3. संयोजन प्रदान करने हेतु शर्तें :

(1) अनुज्ञापी, अपनी वेबसाईट तथा अपने सभी कार्यालयों में उन स्थानों, जहां उनकी ओर से नये संयोजन के लिए आवेदन स्वीकार किये जाते हैं, नये संयोजन प्रदान किये जाने हेतु विस्तृत प्रक्रिया तथा ऐसे आवेदनों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की पूर्ण सूची, प्रमुखता से दर्शायेगा। सामान्य तौर पर ऐसा कोई दस्तावेज जो सूची में नहीं है, नहीं मांगा जायेगा। इस विनियम के नियम 5(10) में दी गई सारणी–1 के अनुरूप, आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि तथा सेवा लाईन की लागत प्रमुखता से दर्शायी जायेगी।

(2) जहां आवेदक ने ऐसी वर्तमान संपत्ति क्रय की है जिसका विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया गया है तो यह आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह यह सत्यापित करे कि पूर्व स्वामी ने अनुज्ञापी को सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया है तथा उससे " अदेयता प्रमाण–पत्र" प्राप्त कर लिया है। यदि संपत्ति क्रय करने से पहले पूर्व स्वामी द्वारा ऐसा "अदेयता प्रमाण–पत्र" प्राप्त नहीं किया गया है तो नया स्वामी, ऐसे प्रमाण–पत्र हेतु अनुज्ञापी के संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है। अनुज्ञापी ऐसे निवेदन की प्राप्ति स्वीकार करेगा तथा या तो वह सम्पत्ति पर बकाया देय धनराशि, यदि कुछ है, लिखित में सूचित करेगा या ऐसे आवेदन की तिथि से एक माह के भीतर "अदेयता प्रमाण–पत्र" जारी करेगा। यदि अनुज्ञापी इस समय के भीतर बकाया देय धनराशि की सूचना नहीं देता है या "अदेयता प्रमाण–पत्र" जारी नहीं करता तो पूर्व स्वामी को बकाया देय धनराशि के आधार पर, परिक्षेत्र में नये संयोजन को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में अनुज्ञापी को विधि के उपबन्धों के अधीन, पूर्व उपभोक्ता से देय धनराशि वसूल करनी होगी।

(3) जहां कोई सम्पत्ति विधिसंगत रूप से उपविभाजित की गई है तो ऐसी अविभाजित संपत्ति पर ऊर्जा के उपयोग हेतु बकाया देय धनराशि, यदि कुछ है , तो वह ऐसी उपविभाजित संपत्ति के क्षेत्र के आधार पर यथानुपातिक रूप से विभाजित की जायेगी।

(4) ऐसे उपविभाजित परिक्षेत्र के किसी भाग हेतु नवीन संयोजन विधिसंगत रूप में विभाजित ऐसे परिक्षेत्र पर लागू बकाया देय धनराशि का भाग, आवेदक द्वारा अदा कर दिये जाने के पश्चात् ही दिया जायेगा। एक अनुज्ञापी, केवल इस आधार पर कि ऐसे परिक्षेत्र के अन्य भाग (गों) की देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है, किसी आवेदक को संयोजन हेतु इनकार नहीं करेगा, ना ही अनुज्ञापी, ऐसे आवेदकों से अन्य भाग (गों) के पिछले भुगतान किये गये बिलों का रिकार्ड मांगेगा।

(5) सम्पूर्ण परिक्षेत्र या भवन के गिराये जाने व पुनर्निर्माण के मामले में वर्तमान संस्थापन वापस सौंप दिया जायेगा तथा अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। मीटर तथा सेवा लाईन को हटा दिया जायेगा तथा पुराने परिक्षेत्र पर सभी देय धनराशियों के भुगतान के पश्चात्, पुनर्निर्मित भवन हेतु एक नवीन संयोजन लिया जायेगा। ऐसे मामलों में निर्माण के उद्‌देश्य हेतु, वर्तमान संयोजन में से अस्थायी विद्युत सेवा की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(6) एक नये उपभोक्ता को संयोजन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन व परिचालन) विनियम, 2006 के उपबन्धों के अनुसार केवल सही विद्युत मीटर के साथ ही प्रदान किया जायेगा तथा उक्त विनियम में निर्धारित किये अनुसार ही इसकी संस्थापना की जायेगी।

4. नये संयोजन हेतु आवेदन :

एक नये संयोजन हेतु आवेदन, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा किया जायेगा तथा इसके पश्चात् नीचे दिये गये अनुसार अनुज्ञापी द्वारा कार्यवाही होगी :—

(1) एक नया विद्युत संयोजन प्राप्त करने का इच्छुक भावी उपभोक्ता, अनुज्ञापी को इस हेतु आवेदन, परिशिष्ट–1 में दिये गये निर्धारित आवेदन प्रपत्र में, करेगा।

(2) निर्धारित आवेदन प्रपत्र, अनुज्ञापी के उपखण्ड कार्यालय या किसी अन्य कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं या अनुज्ञापी की विभागीय वेबसाईट www.uttaranchalpower.com. तथा www.upcl.org से डाऊनलोड किये जा सकते हैं या फोटो कॉपी भी किये जा सकते हैं।

(3) आवेदन प्रपत्र के साथ जमा किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज निम्नलिखित हैं:–

(क) स्वामित्व या अधिकार (औक्यूपेंन्सी) का प्रमाण–पत्र :

जिस परिक्षेत्र पर संयोजन अपेक्षित है उसके स्वामित्व या अधिकार के प्रमाण स्वरूप, आवेदक, निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज जमा करेगा :–

(i) विक्रय लेख या पट्टा लेख की प्रति या खसरा या खतौनी की प्रति या

(ii) रजिस्ट्रीकृत सामान्य मुखत्यारनामा या

(iii) नगर पालिका कर रसीद या मांग सूचना या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज या

(iv) आवंटन–पत्र

(v) एक आवेदक जो परिक्षेत्र का स्वामी नहीं है किन्तु परिक्षेत्र पर उसका कब्जा है, उपरोक्त सं0 (i) से (iv) में दिये दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज के साथ, परिक्षेत्र के स्वामी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी जमा करेगा।

(ख) पहचान प्रमाण–पत्र :

यदि आवेदक एक अकेला व्यक्ति है तो पहचान पत्र के प्रमाण स्वरूप, निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की प्रति जमा करानी होगी :–

(i) निर्वाचन पहचान कार्ड, या

(ii) पासपोर्ट, या

(iii) ड्राइविंग लाइसेन्स, या

(iv) फोटो राशन कार्ड, या

(v) सरकारी एजेन्सी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, या

(vi) ग्राम प्रधान या पटवारी/लेखपाल/ग्राम स्तर के कार्यकर्ता/ग्राम चौकीदार/प्राथमिक विद्यालय अध्यापक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी इत्यादि का प्रमाण–पत्र,

यदि आवेदक कोई कम्पनी, न्यास, विद्यालय/महाविद्यालय, सरकारी विभाग इत्यादि है तो संबंधित संस्था के प्रासंगिक प्रस्ताव प्राधिकारी पत्र के साथ आवेदन पर शाखा प्रबन्धक, प्रधानाचार्य, अधिशासी अभियन्ता जैसे सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर भी अपेक्षित होंगे।

(ग) वचनबंध :

परिशिष्ट 1.1 में दिये गये प्रारूप में यह प्रमाणित करते हुए एक वचनबंध कि परिक्षेत्र में वायरिंग व अन्य विद्युत कार्य, लागू अधिनियम/नियमों व विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप किया गया है।

(4) आवेदक से विधिवत भरा प्रपत्र प्राप्त करने के पश्चात्, अनुज्ञापी का प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्रपत्र की जांच करेगा तथा आवेदन में यदि कोई कमियां पाई जायें तो उन्हें आवेदक से तुरन्त सुधरवाया जायेगा।

(5) नये संयोजन हेतु किसी भी आवेदक को अनुज्ञापी द्वारा "तकनीकी रूप से साध्य नहीं" जैसे कारणों या किसी सामग्री की बाध्यता के कारण वापस नहीं लौटाया जायेगा।

5. अनुज्ञापी द्वारा आवेदन पत्र का प्रोसेसिंग :

(1) आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने पर, अनुज्ञापी तिथि डालकर उसकी प्राप्ति स्वीकृति करेगा।

(2) जैसा कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 के नियम 47 के अधीन अपेक्षित है, आवेदन प्राप्ति की तिथि से 5 दिन के भीतर आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में, अनुज्ञापी आवेदक के संस्थापन का निरीक्षण व परीक्षण करेगा। संस्थापन का परीक्षण भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 48 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा तथा निरीक्षक अधिकारी, जैसा कि उससे भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 47 के अधीन अपेक्षित है, प्राप्त परीक्षण के परिणामों का रिकार्ड परिशिष्ट 1.2 में दिये गये प्रपत्र में रखेगा।

(3) यदि परीक्षण पर अनुज्ञापी को कोई त्रुटि मिलती है जैसे कि संस्थापन का पूरा ना होना या कंडक्टर के अनावृत्त सिरों को या जोड़ों को इन्सुलेटिंग टेप से पूरी तरह ढका ना होना या वायरिंग का इस प्रकार किया जाना कि वह जीवन/सम्पत्ति के लिए हानिकारक हो तो वह परिशिष्ट 1.2 में दिये गये प्रपत्र में उसी समय रसीद के साथ आवेदक को इसकी सूचना देगा।

(4) यदि आवेदन–पत्र में इसका उल्लेख नहीं है तो अनुज्ञापी, सम्पत्ति के समीप भूमि चिन्ह के साथ तथा जहां से सेवा संयोजन दिया जाना प्रस्तावित है वहां से खम्भे की संख्या सहित परिक्षेत्र का सही तथा पूरा पता भी रिकार्ड करेगा। यह सूचना भविष्य में मीटर पढ़ने तथा बिलिंग के लिए आवश्यक है।

(5) आवेदक 15 दिन के भीतर सभी त्रुटियों को दूर करेगा तथा प्राप्ति स्वीकृति के अधीन अनुज्ञापी को लिखित में इसकी सूचना देगा। यदि आवेदक ऐसी त्रुटियों को दूर करने में असफल रहता है या त्रुटियों को दूर किये जाने के संबंध में अनुज्ञापी को सूचित करने में असफल रहता है तो आवेदन व्यपगत (लैप्स) हो जायेगा तथा आवेदक को फिर से आवेदन करना होगा।

(6) त्रुटियों को दूर किए जाने के संबंध में आवेदक से सूचना प्राप्त होने पर, अनुज्ञापी ऐसी सूचना प्राप्ति के पांच दिन के भीतर संस्थापन का पुनः निरीक्षण तथा परीक्षण करेगा। यदि पहले बतायी गयी त्रुटियां तब भी जारी हों तो अनुज्ञापी उन्हें परिशिष्ट 1.2 में दिये गये प्रपत्र में फिर से रिकार्ड करेगा तथा उसकी एक प्रति आवेदक या स्थल पर उपलब्ध उसके प्रतिनिधि को देगा। आवेदन तब व्यपगत (लैप्स) हो जायेगा व प्राप्ति स्वीकृति के अधीन आवेदक को यह सूचना दे दी जायेगी। यदि आवेदक अनुज्ञापी के इस कृत्य से व्यथित हो तो वह विद्युत निरीक्षक से अपील कर सकता है जिसका अधिमत इस संबंध में अंतिम तथा बाध्यकारक होगा।

(7) अनुज्ञापी यह भी अभिनिश्चित करेगा कि क्या परिक्षेत्र पर कोई देय धन राशि बकाया है, तथा यदि है तो अनुज्ञापी ऐसी बकाया राशि का पूर्ण विवरण देते हुए, आवेदन की तिथि से पांच दिन के भीतर एक मांग नोट जारी करेगा। आवेदक को यह बकाया देय धनराशि पन्द्रह दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उसका आवेदन व्यपगत (लैप्स) हो जायेगा तथा प्राप्ति की स्वीकृति के अधीन लिखित में उसको इसकी सूचना दे दी जायेगी।

(8) यदि निरीक्षण पर यह पाया जाता है कि त्रुटियां दूर कर दी गयी हैं तथा कोई देय राशि बकाया नहीं है या उसका भुगतान कर दिया गया है तो अनुज्ञापी, पूर्व निर्धारित प्रति मानकों के अनुसार निर्धारित भार स्वीकृत करेगा जो कि आयोग द्वारा स्वीकृत अथवा आवेदित भार दोनों में से जो अधिक है, होगा तथा पांच दिन के भीतर आवेदक को इसकी सूचना देगा।

(9) यदि आवेदन की तिथि से 5 दिन के भीतर आवेदक को कोई त्रुटि नोट या मांग नोट प्राप्त नहीं होता है तो आवेदित भार स्वीकृत कर लिया गया समझा जाये तथा अनुज्ञापी इन आधारों पर संयोजन प्रदान करने से इनकार नहीं करेगा।

(10) भार स्वीकृत किये जाने से 5 दिन के भीतर, आवेदक नीचे सारणी–1 में दिये गये निर्धारित प्रभार नकद या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करेगा'–

सारणी—1 सेवा लाईन प्रभार व प्रारम्भिक प्रतिभूति

क्रम सख्या	संविदाकृत भार (कि.वा.)	सेवा लाईन प्रभार (रु0)		प्रारम्भिक प्रतिभूति (रु0/कि.वा.)			
		ऊपरी	भूमि के नीचे	घरेलू	अघरेलू	औद्योगिक	पी.टी. डब्लू
1	बी.पी.एल./लाईफ लाईन (यदि कुटीर ज्योति या केन्द्र/राज्य सरकार की ऐसी ही किसी योजना के अधीन समावेशित न हो)	100	लागू नहीं	100	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	4 कि. वा. से कम या उसके बराबर	400	800				
3	4 कि. वा. से अधिक व 10 कि.वा. के बराबर	1,000	2,000				
4	10 कि. वा. से अधिक व 20 कि.वा. के बराबर	2,000	4,000	400	1,000	1,000	100
5	20 कि. वा. से अधिक व 50 कि.वा. के बराबर	5,000	10,000				
6	50 कि. वा. से अधिक व 75 कि.वा. के बराबर	7,500	15,000				

(i) उपरोक्त सेवा लाईन प्रभार वास्तव में अपेक्षित सेवा लाईन की लम्बाई का विचार किये बिना है।

(ii) भूमि के नीचे की सेवा लाईन हेतु प्रभार में विभिन्न सामग्री जैसे जी0आई0 पाईप, ईंट, रेता, मजदूरी इत्यादि की लागत सम्मिलित है।

(iii) अनुज्ञापी पिछले 12 माहों के दौरान रिकार्ड किये गये वास्तविक उपयोग के आधार पर प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को सभी वर्तमान उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमा की समीक्षा व पुनर्निर्धारण करेगा। [मानकीय उपयोग (एन.आर./एन.ए/आई.डी.एफ./ए.डी.एफ./आर. डी.एफ.) आधार पर तैयार किये गये बिलों पर अपेक्षित प्रतिभूति जमा के आकलन हेतु विचार नहीं किया जायेगा] किसी उपभोक्ता से अपेक्षित प्रतिभूति 2 माह में औसत उपभोग हेतु देय प्रभार के बराबर होगी। यदि अनुज्ञापी के पास प्रतिभूति जमा, उपरोक्त गणनानुसार, अपेक्षित राशि से कम पड़ती है तो अनुज्ञापी अगले बिलिंग चक्र में उतनी अतिरिक्त राशि जोड़ते हुए बिल प्रेषित करेगा। यदि अनुज्ञापी के पास प्रतिभूति जमा, अपेक्षित धनराशि से अधिक है तो अधिक प्रतिभूति अगले बिल में समायोजित की जायेगी।

(iv) इस राशि पर ब्याज, समय—समय पर आयोग द्वारा दिये गये निदेशानुसार देय होगा।

(11) अनुज्ञापी, निम्नलिखित से 30 दिन के भीतर एक सही मीटर के माध्यम से संयोजन को क्रियाशील करने के लिए बाध्यताधीन होगा।

(क) यदि कोई त्रुटि या बकाया देय धनराशि न हो तो आवेदन की तिथि,

(ख) त्रुटियां दूर करने की सूचना की तिथि या बकाया देय धनराशि का शोधन दोनों में से जो बाद में हो।

(12) यदि अनुज्ञापी, उपरोक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी आवेदक को संयोजन प्रदान करने में असफल रहता है तो वह आवेदक द्वारा जमा करायी गयी राशि पर रु0 10 प्रति रु0 1000 (या उसका एक भाग) जुर्माना देने का जिम्मेदार होगा, जो व्यतिक्रम में प्रतिदिन हेतु अधिकतम रु0 1000 तक होगा।

(13) अनुज्ञापी, मासिक रूप से खण्ड वाइज रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसमें उन संयोजनों की संख्या का विवरण उल्लेखित होगा जिन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील नहीं किया गया है तथा ऐसे व्यतिक्रम के कारण एकत्रित जुर्माना भी जमा करायेगा।

(14) यदि इन विनियमों के अनुरूप उसका संयोजन क्रियाशील नहीं होता है तो आवेदक, आवेदन की तिथि, अनुज्ञापी द्वारा निरीक्षण की तिथि इत्यादि का पूर्ण विवरण देते हुए आयोग के समक्ष इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

6. छूटे हुए लघु क्षेत्र में नवीन संयोजन :

(1) यदि किसी छूटे हुए लघु क्षेत्र में एक नया संयोजन अपेक्षित है जिसमें अनुज्ञापी को अपने वितरण मेन विस्तारित करने या नयें वितरण मेन बिछाने या एक उपस्टेशन लगाने की आवश्यकता है तो अनुज्ञापी, आपूर्ति प्रदान करने में लगने वाले अपेक्षित समय की सूचना आवेदक को देगा जो कि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :—

(क)	यदि केवल वितरण मेन का विस्तार करना है	60 दिन
(ख)	यदि एक नये उप स्टेशन का भी लगाना है	90 दिन
(ग)	यदि एक नये 33/11 के.वी. का उप स्टेशन लगाना है	180 दिन

(2) उपरोक्त मामले में आवेदक को, ऊपर दी गई सारणी—1 में विनिर्दिष्ट प्रभारों के अतिरिक्त, नीचे दी गई सारणी—2 में दिये एक मुश्त विकास प्रभार भी जमा करने होंगे :—

सारणी—2 विकास प्रभार

क्रम संख्या	संविदाकृत भार (कि.वा.)	प्रभार (रु0)
1	4 कि. वा. से कम या उसके बराबर	4,000
2	4 कि. वा. से अधिक व 10 कि.वा. के बराबर	10,000
3	10 कि. वा. से अधिक व 20 कि.वा. के बराबर	20,000
4	20 कि. वा. से अधिक व 50 कि.वा. के बराबर	50,000
5	50 कि. वा. से अधिक व 75 कि.वा. के बराबर	75,000

(3) एक क्षेत्र में प्रथम संयोजन दिये जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर इस क्षेत्र में किसी छूटे हुए लघु क्षेत्र में तथा नया संयोजन चाहने वाला आवेदक भी उपरोक्त बताये गये एक मुश्त विकास प्रभार का भुगतान करेगा। इन आंकड़ों को उपरोक्त विनियम 3(1) में संदर्भित स्थलों पर प्रमुखता से दर्शाया जायेगा। ऐसे छूटे हुए लघु क्षेत्र में स्वीकृत भार में उसकी वृद्धि चाहने वाला आवेदक अतिरिक्त विकास प्रभार का भुगतान करेगा जिसकी गणना, मूल प्रभार प्राप्त करते समय किये गये भुगतानों को ध्यान में रख कर की जायेगी।

(4) विकासक के क्षेत्र के उपभोक्ताओं की ओर से विकासक द्वारा अनुज्ञापी को विकास प्रभार का एक मुश्त इस प्रकार भुगतान किया जायेगा जिस प्रकार कि विकासक व संबंधित उपभोक्ता आपस में सहमत हों या अपने परिक्षेत्र हेतु संयोजन की मांग करते समय उस क्षेत्र के प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा सीधे अनुज्ञापी को भुगतान किया जायेगा।

7. उपरोक्त सारणी 1 व 2 में 'निर्धारित प्रभारों', के अतिरिक्त मीटर का मूल्य, अतिरिक्त केबिल, प्रोसेसिंग फीस आदि जैसे कोई अन्य प्रभार, किसी नये संयोजन के आवेदन कर्ता द्वारा देय नहीं होंगे।

8. स्वीकृत भार में वृद्धि/कमी हेतु प्रक्रिया :

(1) उपभोक्ता, वित्तीय वर्ष में एक बार कभी भी अपने संविदाकृत भार में वृद्धि या कमी कर सकते हैं।

(2) इसके लिए उपभोक्ता, परिशिष्ट—2 में दिये गये तथा अनुज्ञापी के उप—खण्ड कार्यालयों से निःशुल्क उपलब्ध प्रपत्र में अनुज्ञापी को आवेदन करेंगे। इन प्रपत्रों को अनुज्ञापी की वेबसाईट से डाऊनलोड भी किया जा सकता है।

(3) आवेदक को उसके आवेदन की प्राप्ति हेतु लिखित व दिनांकित प्राप्ति रसीद दी जायेगी।

(4) प्रभार में वृद्धि चाहने वाला उपभोक्ता प्रतिभूति का भुगतान करेगा तथा यदि सेवा लाईन को उच्च क्षमता की सेवा लाईन द्वारा परिवर्तित करना आवश्यक होता है, तो उसे उपरोक्त सारणी –1 के अनुसार सेवा लाईन भार का भी भुगतान करना होगा। वर्तमान भार हेतु पहले से भुगतान की गई प्रतिभूति राशि समायोजित की जायेगी।

(5) यदि उपभोक्ता द्वारा चाही गई भार में कमी के कारण वर्तमान सेवा लाईन मीटर इत्यादि परिवर्तन करना अपेक्षित हो तो उपभोक्ता, अनुज्ञापी को, उपरोक्त सारणी –1 के अनुसार सेवा लाईन प्रभार का भी भुगतान करेगा तथा कम किये गये भार हेतु अपेक्षित प्रतिभूति जमा व पहले से किये गये जमा का अन्तर, अगले दो बिलिंग चक्रों में समायोजित किया जायेगा।

(6) भार में कमी के निवेदन पर विचार करते समय अनुज्ञापी पहले उक्त उपभोक्ता के वास्तविक उपभोग का विवरण सत्यापित करेगा। यदि वास्तविक उपभोग के प्रतिरूप से यह इंगित होता है कि पूर्व में वास्तव में उपयोग किया गया भार, मांगे जाने वाले भार से अधिक है तो मांग की गई कमी की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा आवेदक को तद्नुसार सूचित कर दिया जायेगा। उदाहरण–

उन संस्थापनों के लिए जहां एम.डी.आई. के साथ इलैक्ट्रॉनिक मीटर संस्थापित किये गये हैं–

भार श्रेणी	औद्योगिक
स्वीकृत भार	50 के.वी.ए.
भार में निवेदित कमी	35 के.वी.ए.
पिछले 12 माह में अधिकतम मांग	40 के.वी.ए.

क्योंकि, एम.डी.आई द्वारा इंगित किये अनुसार पिछले 12 माह में अधिकतम मांग भार में निवेदित कमी से अधिक थी अतः भार में कमी का निवेदन माना नहीं जायेगा।

उन स्थानों के लिए जहां मीटर एम.डी.आई. के साथ लगाए गये हैं–

भार की श्रेणी	घरेलू
स्वीकृत भार	7 के.डब्लू.
भार में कमी	4 के.डब्लू.
अधिकतम उपयोग विगत 12 माह के दौरान	600 के.डब्लू.एच./के.डब्लू.
घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत प्राथमिक उपयोग*	100 के.डब्लू.एच.
प्राथमिक उपयोग की गणना	600/100 = 6 के.डब्लू.

*टेरिफ ऑर्डर के अन्तर्गत प्राथमिक बिल का प्राथमिक उपयोग।

चूंकि विगत 12 माह में औसत भार निर्धारित भार से अधिक रहा है अतः भार में कमी का निवेदन माना नहीं जायेगा।

(7) भार में वृद्धि/कमी की मांग करने वाले आवेदनों की प्राप्ति के पश्चात् 30 दिन के भीतर स्वीकृत भार में वृद्धि/कमी की जायेगी। यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर भार में वृद्धि/कमी नहीं हो जाती है तो अनुज्ञापी द्वारा रु0 500 का जुर्माना देय होगा।

परिशिष्ट–1

नये संयोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए	
प्रभाग का नाम	
उप प्रभाग का नाम	
आवेदन संख्या	
प्राप्ति तिथि	

1— आवेदक का नाम		
2— पता जिस पर आपूर्ति अपेक्षित है	मकान/प्लाट	
	गली	
	कॉलोनी /क्षेत्र	
	जिला	
दूरभाष, यदि कोई है		मोबाइल, यदि कोई है

यदि आवेदक कोई कम्पनी/संगठन या संघ है :

3—स्थायी पता	मकान/प्लाट		
	गली		
	कालोनी /क्षेत्र		
	जिला		
दूरभाष यदि कोई है		मोबाइल यदि कोई है	

यदि आवेदक किरायेदार या कब्जाधारी है :

4—सम्पत्ति के स्वामी का पता	मकान/प्लाट	
	गली	
	कॉलोनी /क्षेत्र	
	जिला	
दूरभाष, यदि कोई है		मोबाइल, यदि कोई है

आवेदित भार के.डब्लू. में	
6— प्लॉट का आकार व निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर) (केवल घरेलू व अघरेलू संयोजन हेतु)	

7— अ उपयोग	जो लागू हो उस पर चिन्ह लगायें		
	ए— घरेलू		
	बी— अघरेलू		
	सी—औद्योगिक		
	डी— व्यक्तिगत ट्यूबवैल		

8— यदि परिक्षेत्र में कोई विद्युत संयोजन विद्यमान है	हां/नहीं
9—यदि हां तो निम्नलिखित विवरण दें:—	
(ए)— सेवा संयोजन संख्या	
(बी)— पुस्तक संख्या	
11—समीपस्थ भूमि चिन्ह खम्बा संख्या/फीडर पिलर संख्या/समीपस्थ मकान संख्या (अनुज्ञापी द्वारा भरा जाये)	

12–संलग्न दस्तावेजों की सूची	1	पहचान/पते का सबूत (निम्नलिखित में से किसी एक की प्रति) किसी एक पर निशान लगाएं :
		ए. निर्वाचन पहचान कार्ड बी. पासपोर्ट सी. ड्राइविंग लाइसेन्स डी. फोटो राशन कार्ड इ. सरकारी अभिकरण द्वारा जारी फोटो पहचान कार्ड एफ. ग्राम प्रधान, प्रधान या पटवारी/लेखपाल/ग्राम स्तर कार्यकर्ता/ग्राम चौकीदार/ प्राथमिक पाठशाला अध्यापक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी जैसे ग्राम स्तर के सरकारी कार्यकर्ता से प्रमाण–पत्र
	2	स्वामित्व/कब्जे का सबूत (निम्नलिखित में से एक को प्रति) किसी एक पर निशान लगाएं–
		ए–विक्रय लेख या पट्‌ट लेख की प्रति या खसरा खतौनी की प्रति या बी– रजिस्ट्रीकृत मुख्तारनामा या सी–नगरपालिका कर रसीद या मांग नोटिस या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज या आवंटन पत्र
		एक आवेदक जो कि परिक्षेत्र का स्वामी नहीं है, किन्तु कब्जा धारी है, डी– उपरोक्त (ए) से (डी) में अंकित किसी दस्तावेज के साथ परिक्षेत्र के स्वामी का निराक्षेप प्रमाण भी प्रस्तुत करेगा। ई–
	3	निर्धारित प्रारूप में आवेदक द्वारा घोषणा

दिनांक हस्ताक्षर

पावती

निम्नलिखित विवरणानुसार विद्युत हेतु नये संयोजन के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया :–

1. आवेदक का नाम __________

2. पता जहां संयोजन अपेक्षित है __________

3. आवेदित भार __________

रबर स्टैम्प

यू0पी0सी0एल0 प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम व पद

परिशिष्ट—1.1

घोषणा/वचन बंध

मैं, ... पुत्र श्री ....निवासी...................................इसके पश्चात्) "आवेदक" संदर्भित, जिस शब्द के अभिप्राय में निष्पादन, प्रशासक उत्तराधिकारी, उत्तरवर्ती व समनुदेशक सम्मिलित हैं) एतद्द्वारा निम्नलिखित शपथ लेते हैं व घोषणा करते हैं :—

................................, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन निगमित , जिसका कार्यालय .... पर (इसके पश्चात् "आवेदक" सन्दर्भित, जैसा कि पद में, जब तक कि संदर्भ में या उसके अभिप्राय में विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी व समनुदेशक सम्मिलित हैं, एतद्द्वारा निम्नलिखित शपथ लेते हैं व घोषणा करते हैं :—

कि आवेदक.. पर परिक्षेत्र का विधिपूर्ण कब्जाधारी है, जिसके समर्थन में आवेदक ने कब्जे का सबूत दिया है कि आवेदक ने यू.पी.सी.एल. से, आवेदन प्रपत्र में उल्लेखित उद्देश्य हेतु आवेदक के नाम पर उपरोक्त उल्लेखित परिक्षेत्र में एक सेवा संयोजन प्रदान करने का निवेदन किया है।

कि घोषणा प्रस्तुत करते समय आवेदक ने यह भली भांति समझ लिया है कि यदि भविष्य में उसका यह कथन झूठा या गलत साबित होता है तो यू.पी.सी.एल. को पूरा अधिकार होगा कि वह बिना किसी सूचना के आवेदक की आपूर्ति विच्छेद कर दे तथा उपभोक्ता प्रतिभूति जमा के सापेक्ष देयों का समावेश करे।

कि आवेदक एतद्द्वारा सहमति प्रदान करता है व वचन देता है कि—

(1) आवेदक को दिये जाने वाले नये सेवा संयोजन के कारण यू.पी.सी.एल. को होने वाली सभी कार्यवाहियों, दावों, मांगों, लागतों, हानियों, व्ययों के सापेक्ष क्षतिपूर्ति करने का;

(2) कि परिक्षेत्र के भीतर किये गये सभी विद्युत कार्य हमारी पूरी जानकारी अनुसार भारतीय विद्युत नियमावली के अनुरूप है। (जहां आवेदन पुनर्संयोजन के लिए है या आवेदन परिक्षेत्र का कब्जाधारी है;

(3) इस सम्बन्ध में आवेदक को हुई किसी हानि के लिए यू.पी.सी.एल. क्षतिपूरक है। इसके अतिरिक्त, आवेदक सहमत है कि उसके परिक्षेत्र के भीतर विद्युत कार्य में त्रुटि के कारण यदि यू.पी.सी.एल. की सम्पत्ति को कोई अपहानि/हानि होती है तो सभी दायित्व आवेदक द्वारा वहन किये जायेंगे;

(4) नियमित रूप से तथा भुगतान हेतु शोध्य होने पर, समय—समय पर प्रवृत आपूर्ति हेतु विविध प्रभार, व यूपीसीएल की दर सूची में नियत दरों पर विद्युत उपयोग बिल व अन्य प्रभार के भुगतान हेतु;

(5) पूर्ववर्ती वर्ष में आवेदक के उपभोग पर आधारित समय—समय यू.पी.सी.एल. द्वारा संशोधित, अतिरिक्त उपभोग जमा को जमा करना;

(6) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों, विद्युत आपूर्ति, संहिता, शुल्क आदेश तथा समय—समय पर लागू उ०वि०नि०आ० द्वारा अधिसूचित कोई अन्य नियमों या विनियमों का पालन करना;

(7) संविदाकृत अवधि की समाप्ति से पूर्व या किसी संविदात्मक त्रुटि के कारण, अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, आवेदक द्वारा भुगतान की गई उपभोक्ता प्रतिभूति जमा के सापेक्ष, यू.पी.सी.एल. विद्युत उपभोग प्रभार अन्य प्रभार के साथ समायोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा;

(8) यू.पी.सी.एल. द्वारा उपलब्ध कराये गये मीटर, सी.टी., केबल इत्यादि को संरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए उत्तरदायी होना तथा यदि आवेदक के कारण उपकरणों को कोई क्षति पहुंचती है तो आवेदक उसका प्रभार भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, मीटर इत्यादि की सील टूटने के कारण या प्रत्यक्ष/बेईमानी से विद्युत निकालने के कारण होने वाले सभी प्रतिक्रियाओं व वर्तमान विधि अनुसार आवेदक उत्तरदायी होगा;

(9) मीटर पढ़ने तथा इसकी जांच इत्यादि के उद्देश्य हेतु मीटर तक स्पष्ट व अविल्लंगम पहुंच प्रदान करना;

(10) कि किसी व्यतिक्रम या कानूनी उपबंध की अवहेलना पर तथा कानूनी प्राधिकार द्वारा ऐसे आदेश को लागू करने के लिए कानूनी बाध्यता होने पर आवेदक, यू.पी.सी.एल. को सेवा विच्छेदित करने देगा। यह विच्छेदन की तिथि पर अपने भुगतान पाने सहित यू.पी.सी.एल. के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा;

(11) कि यू.पी.सी.एल. विद्युत की आपूर्ति में अवरोध या ह्रास हेतु उत्तरदायी नहीं होगा;

(12) आवेदक द्वारा की गई उपरोक्त सभी घोषणाएं, यू.पी.सी.एल. व आवेदक के मध्य एक करार मानी जायेंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

हस्ताक्षर व प्राप्ति
साक्षी की उपस्थिति में
साक्षी का नाम

परिशिष्ट–1.2

परीक्षण परिणाम रिपोर्ट

(भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 47 व 48 का संदर्भ लें)

(अनुज्ञापी के प्रतिनिधि द्वारा भरा जाये)

इन्सुलेशन रेजिस्टेन्स का परिणाम (फेज कन्डक्टर व अर्थ के मध्य एक मिनट के लिए 500 वोल्ट का दबाव देकर नापने पर)

फेज–1 व अर्थ फेज–2 व अर्थ फेज–3 व अर्थ

1. फेज व अर्थ के मध्य

सावधानी : जब कोई उपभोक्ता उपकरण जैसे कि पंखे, ट्यूब्स, बल्ब इत्यादि सर्किट में हों तो फेज व न्युट्रल के मध्य या फेजों के मध्य इन्सुलेशन रेजिस्टेन्स को नहीं नापा जायेगा क्योंकि ऐसे परीक्षण के परिणाम उपकरण की रेजिस्टेन्स को दर्शायेंगे न कि संस्थापन की इन्सुलेशन रेजिस्टेन्स।

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 33 के अधीन अपेक्षित अर्थ टर्मिनल यू.पी.सी.एल. द्वारा उपलब्ध कराया गया है तथा यह टर्मिनल यूपीसीएल के अर्थिंग सिस्टम के साथ संयोजित किया गया है।

आपके विद्युत संस्थापन में निम्नलिखित कमियां पायी गयी हैं, आपसे निवेदन है कि उन्हें पन्द्रह दिन के भीतर से दिनांक ....दूर कर दें तथा यू.पी.सी.एल. को सूचित करें ऐसा न करने पर, नये संयोजन हेतु आपका निवेदन निरस्त हो जायेगा :–

1– ....

2–..

3–..

4–..

दिनांक

अनुज्ञापी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम व पता

(आवेदक द्वारा भरा जाये)

परिक्षेत्र का परीक्षण अनुज्ञापी द्वारा मेरी उपस्थिति में किया गया तथा

मैं परीक्षण से सन्तुष्ट हूँ

मैं परीक्षण से सन्तुष्ट नहीं हूँ और अपील विद्युत निरीक्षक के समक्ष दायर कर सकता हूँ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यू.पी.सी.एल. ने परिक्षेत्र में, भारतीय विद्युत नियमावली, 1965 के नियम 33 के अनुरूप एक अर्थ टर्मिनल उपलब्ध कराया है/नहीं कराया है तथा यह अर्थ टर्मिनल यू.पी.सी.एल. के अर्थिंग सिस्टम के साथ संयोजित किया गया है/नहीं किया गया है।

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट—2

भार वृद्धि/कमी हेतु आवेदन

आवेदन संख्या			
आवेदन दिनांक			
भार वृद्धि		भार में कमी	
वर्तमान स्वीकृत भार		वर्तमान स्वीकृत भार	
भार में निवेदित वृद्धि		भार में निवेदित कमी	
1	उपभोक्ता संख्या		
1. अ)	पुस्तक संख्या		
2	उपभोक्ता का नाम		

पता जिस पर आपूर्ति प्रदान की जानी है	मकान/प्लाट	
	गली	
	कॉलोनी /क्षेत्र	
	जिला	
दूरभाष :		मोबाइल :

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

आयोग की आज्ञा से,

आनन्द कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/248—भाग 1—क—2007 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।